सुविधा समझौता

यह सुविधा समझौता अनुसूची। में उल्लिखित दिन, माह, वर्ष और स्थान पर अनुसूची। में नामित उधारकर्ता(ओं) के बीच किया गया है, जिसमें, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट शामिल होंगे;

और

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में एक बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात - 390 007 और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051 में है और अन्य के अलावा, अनुसूची। में निर्दिष्ट स्थान पर एक शाखा/कार्यालय ("आईसीआईसीआई बैंक"या "बैंक", जिसका अर्थ, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारियों और द्वितीय पक्ष के असाइनमेंट को भी शामिल करेगा

और

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स में स्थित है,अंधेरी कुर्ला रोड, ग्राम चकला,अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, अनुसूची। में निर्दिष्ट स्थान पर एक शाखा/कार्यालय ("एनबीएफसी", जिसमें, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के विपरीत न हो, तीसरे पक्ष के उत्तराधिकारियों और असाइनियों को शामिल किया जाएगा

उपरोक्त प्रत्येक पक्ष को आगे से व्यक्तिगत रूप से पक्षकार तथा सामूहिक रूप से पक्षकार कहा जाएगा। बैंक और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) को आगे से सामूहिक रूप से ऋणदाता कहा जाएगा।

जबकि:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025, दिनांक 28 नवंबर, 2025, और भारतीय रिज़र्व बैंक (एनबीएफसी - ऋण जोखिम का हस्तांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 दिनांक 28 नवंबर, 2025, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर संशोधित/संशोधित किया गया है, के तहत सह-ऋण देने के उद्देश्य से एनबीएफसी ने बैंक के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है।इस तरह की सह-ऋण व्यवस्था के लिए लागू होने वाली शर्तें नीचे खंड 2.1 में दी गई हैं

(ii) बैंक और एनबीएफसी अपनी-अपनी ऋण नीतियों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले एक या अधिक उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता और/या ऋण सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं।"सामान्य ऋण कार्यक्रम"सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार।

(iii) सामान्य ऋण कार्यक्रम के तहत, उधारकर्ता(ओं) ने ऋणदाताओं से अनुरोध किया है कि वे उद्देश्य के लिए ऋण सुविधा स्वीकृत करें जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है

(iv) उधारकर्ता(कों) द्वारा आवेदन (नीचे परिभाषित) में दी गई जानकारी के आधार पर, ऋणदाताओं ने उधारकर्ता(कों) को इसमें निहित नियमों और शर्तों पर सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

(v) अतः पक्षकार इस समझौते में प्रवेश करने के इच्छुक हैं ताकि इससे उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित किया जा सके।

अतः, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और इसमें उल्लिखित पारस्परिक अनुबंधों और कथनों के मद्देनजर, पक्षों के बीच निम्नलिखित बातों पर सहमति हुई है:

अनुच्छेद 1 – परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

1.1परिभाषाएँ

इस सुविधा समझौते में, जब तक कि इसके विषय या संदर्भ के विपरीत कोई बात न हो, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"लागू ब्याज दर"से तात्पर्य निश्चित ब्याज दर या अर्ध-निश्चित ब्याज दर या उधारकर्ता(ओं) द्वारा चुने गए सुविधा पर लागू समायोज्य ब्याज दर से है, जिस दर पर ऋणदाता इस सुविधा पर ब्याज की गणना करेंगे, जैसा कि अनुसूची। में दिया गया है;

"आवेदन"का अर्थ है सुविधा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता(कों) द्वारा उधारदाताओं को ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या भौतिक रूप में, और जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो, उधारकर्ता(कों) द्वारा उधारदाताओं को प्रस्तुत की गई अन्य सभी जानकारी और दस्तावेज़;

"उधारकर्ता(ओं)"का अर्थ है वह व्यक्ति(यों) जिसे उधारकर्ता(ओं) और/या कोई सह-उधारकर्ता(ओं)/ सह-आवेदक(ओं) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जैसा कि अनुसूची । में नामित है और, जैसा कि विषय या संदर्भ अनुमति दे या आवश्यक हो, उनमें से कोई भी या प्रत्येक का अर्थ होगा। अभिव्यक्ति"उधारकर्ता(ओं)"जब तक कि यह विषय के विपरीत न हो या संदर्भ अनुमति दे या अपेक्षित हो, इसमें शामिल होंगे, (i) लागू कानूनों के तहत पंजीकृत कंपनी, सीमित देयता भागीदारी या सोसायटी के मामले में, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट धारक, (ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ में भागीदारी फर्म के मामले में, कोई भी या प्रत्येक भागीदार और उनमें से उत्तरजीवी तथा समय-समय पर भागीदार (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और फर्म के भागीदार के रूप में) और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत असाइनमेंट धारक, फर्म के उत्तराधिकारी; (iii) किसी स्वामित्व वाली संस्था के मामले में, स्वामी/स्वामी (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और संस्था के स्वामी/स्वामी के रूप में) और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत उत्तराधिकारी; (iv) किसी संयुक्त हफ़ल परिवार के मामले में, संयुक्त हफ़ल परिवार का कर्ता और संयुक्त हफ़ल परिवार के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य/सह-भागीदार और उनमें से उत्तरजीवी और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत उत्तराधिकारी; (v) किसी व्यक्ति के मामले में, उसके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत उत्तराधिकारी; (vi) किसी न्यास के मामले में, न्यास/न्यायमूर्ति, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत उत्तराधिकारी;

"उधारकर्ता(ओं)'बकाया"का अर्थ है और इसमें सुविधा की बकाया मूल राशि, सुविधा पर ब्याज, दंडात्मक शुल्क, सभी शुल्क, लागत, प्रभार, व्यय और लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता(ओं) द्वारा उधारदाताओं को देय अन्य सभी राशियाँ शामिल हैं;

"कार्य दिवस"का अर्थ है वह दिन जिस दिन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का संबंधित शाखा कार्यालय सामान्य व्यावसायिक लेनदेन के लिए खुला रहता है;

"देय तिथि(तिथियां)"का अर्थ है वह तिथि(तिथियां) जिस पर उधारकर्ता(कों) के संबंध में कोई भी राशि देय होती है'सुविधा की मूल राशि, ब्याज और/या किसी अन्य राशि सहित देय राशि का भुगतान लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार देय होता है;

"चूक की घटना"का अर्थ है इस सुविधा समझौते के अनुच्छेद-VI में निर्दिष्ट घटनाएँ या परिस्थितियाँ;

"बाह्य बेंचमार्क दर"का अर्थ आरबीआई या किसी अन्य अधिकृत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर ऋणदाताओं द्वारा अपनाई गई बेंचमार्क दर से होगा;

"सुविधा"का अर्थ है प्रत्येक ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता(ओं) को प्रदान किए गए/प्रदान किए जाने के लिए सहमत ऋण(नों)/वित्तीय सहायता(ओं) (इसकी उप-सीमाओं सहित) की मूल राशियों का कुल योग, जो प्रत्येक ऋण(नों)/वित्तीय सहायता(ओं) के लिए अनुसूची । में निर्धारित राशियों से अधिक नहीं होगा, और जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो, समय-समय पर ऋण(नों) की बकाया राशि;

"ऋण"का अर्थ है किसी भी समय उधारकर्ता(कों) का उधार ली गई, अनुबंधित या जुटाई गई धनराशि (चाहे नकद प्रतिफल के लिए हो या नहीं) या किसी भी माध्यम से अनुबंधित देनदारियों (गारंटी, क्षतिपूर्ति, स्वीकृति, क्रेडिट, जमा, किराया-खरीद और पट्टे सहित) के संबंध में कोई भी ऋण;

"भौतिक प्रतिकूल प्रभाव"का अर्थ है एक ऐसी घटना जो, ऋणदाताओं की राय में, उधारकर्ता(ओं) की वित्तीय स्थिति या लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने या उनका अनुपालन करने की उधारकर्ता(ओं) की क्षमता को खराब कर सकती है या सुविधा को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई संपत्ति या संपत्ति की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है;

"सामग्री शर्तें"सुविधाओं के संबंध में, इसका अर्थ निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हैं:-(i) सुविधा के तहत उधारकर्ता का भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्व (मूलधन, ब्याज, शुल्क, प्रभार सहित); (ii) लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्माण/पूर्णता/प्रदान करना; (iii) सुविधा के संबंध में प्रदान की गई/प्रदान करने के लिए सहमत कोई भी ऋण सहायता (बिना किसी सीमा के, कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति सहित); (iv) वित्तीय अनुबंधों, सुरक्षा संबंधी अनुबंधों और सूचना अनुबंधों का अनुपालन; और (v) सुविधा का अंतिम उपयोग

"मासिक किस्त"का अर्थ है उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं को मासिक आधार पर सुविधा का परिशोधन करने के लिए देय किश्तें, जिसकी राशि ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर सुविधा समझौते के तहत निर्धारित की जा सकती है और इसमें सुविधा की मूल राशि और उस पर ब्याज दोनों शामिल

हैं, जैसा कि अनुसूची 1 में अधिक विस्तार से वर्णित है और समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं। ऐसी मासिक किश्त समतुल्य या अन्यथा हो सकती है। मनी सेवर खाते के रूप में सुविधा के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से, मूलधन और ब्याज उधारकर्ता(ओं) से अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग प्रभारित/डेबिट किए जा सकते हैं'मनी सेवर खाता;

"दंडात्मक शुल्क"का अर्थ है किसी भी महत्वपूर्ण शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं को देय अतिरिक्त शुल्क

"पूर्व मासिक किस्त ब्याज (पीएमआईआई)"इसका अर्थ है, सुविधा के वितरण की तिथि/तिथियों से लेकर पहली मासिक किस्त के प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पहले की तिथि तक, उधारकर्ता(ओं) द्वारा सुविधा पर देय ब्याज;

"संपत्ति(याँ)"का अर्थ है अनुसूची। में उल्लिखित अचल संपत्ति(याँ);

"स्वीकृति पत्र"का अर्थ है ऋणदाताओं द्वारा जारी किया गया पत्र, चाहे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जिसमें समय-समय पर उधारकर्ता(ओं) को सुविधा स्वीकृत की जाती है, जिसमें इसके किसी भी संशोधन शामिल हैं;

"स्प्रेड"का अर्थ है सुविधा पर लागू मार्जिन जो समायोज्य ब्याज दर या अर्ध-निश्चित ब्याज दर से जुड़ा है। यह स्प्रेड इस सुविधा समझौते और लागू कानूनों/विनियमों के अनुसार समय-समय पर बदल सकता है;

"लेनदेन दस्तावेज़"इसमें आवेदन, स्वीकृति पत्र, सुविधा समझौता, सुरक्षा दस्तावेज़, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी/मुख्य तथ्य विवरण, स्वागत पत्र, सभी लिखित दस्तावेज, अन्य समझौते, उपकरण, वचनबद्धताएँ, विलेख, लिखित दस्तावेज और अन्य दस्तावेज़ शामिल हैं, चाहे वे गारंटी और/या सुरक्षा के लिए हों, और उधारकर्ता(ओं) या, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित या दर्ज किए गए, या किए जाने वाले, या सुविधा के संबंध में, या उससे संबंधित, किसी भी ऋणदाता द्वारा निष्पादित या जारी किए गए कोई अन्य दस्तावेज़, और समय-समय पर संशोधित किए गए ऐसे प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज़;

"वेबसाइट"का अर्थ www.sbfc.com होगा।

1.2 निर्माण

इस सुविधा समझौते में, जब तक कि विपरीत आशय प्रकट न हो:

(a) लेन-देन दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले की प्रासंगिकता, संभावना या तर्कसंगतता के संबंध में ऋणदाताओं और उधारकर्ता(ओं) के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, ऋणदाताओं की राय अंतिम और उधारकर्ता(ओं) पर बाध्यकारी होगी;
(b) स्वीकृति पत्र इस सुविधा समझौते का एक अभिन्न अंग है और इस सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता (उधारकर्ता) ऋणदाताओं द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों से सहमत और उन्हें स्वीकार करता है;
(c) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होता है और इसके विपरीत भी; और
(d) खंड'शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और इसके प्रावधान की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे

अनुच्छेद II – सुविधा की राशि और शर्तें

2.1 सह-ऋण व्यवस्था

(a) सह-ऋण व्यवस्था के अंतर्गत, ऋणदाता अनुसूची 1 भाग अ में दिए गए अनुपात में सुविधा प्रदान करेंगे
(b) ऋणदाताओं के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, जो किसी भी प्रकार की सुरक्षा के रूप में, संदर्भ के अनुसार, किसी भी प्रकार का हित सृजित करने का प्रभाव रखते हैं, और जो उधारकर्ता द्वारा सुविधा के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें संपत्ति (संपत्तियां) भी शामिल हैं, एनबीएफसी के पक्ष में स्वयं और बैंक के लिए सुरक्षा न्यासी के रूप में निष्पादित किए जाएंगे, और एनबीएफसी ऋणदाताओं की ओर से और उनके लाभ के लिए संपत्ति (संपत्तियों) को धारण करेगी।
(c) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि यदि एन.बी.सी. किसी भी कारण से सुविधा के तहत पहले संवितरण से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर बैंक को उपरोक्त खंड 1(ए) में उल्लिखित एक्सपोजर का हिस्सा हस्तांतरित करने में असमर्थ है, तो सुविधा एन.बी.सी. के बहीखातों में बनी रहेगी।
(d) ऋणकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि यदि यह सुविधा एनबीसी के बहीखातों में बनी रहती है, तो एनबीसी निम्नलिखित के लिए हकदार होगी:राष्ट्रीय वित्तीय विभाग (एनबीएफसी) के अनुसार परिवर्तन लागू होंगे।

(e) उधारकर्ता द्वारा दी गई सुरक्षा में बैंक और एनबीसी का अधिकार, स्वामित्व और हित, इस सुविधा के तहत उनके द्वारा किए गए संबंधित संवितरणों और एनबीसी तथा बैंक द्वारा किए गए लागत और व्ययों के अनुपात में होगा।

(f) प्रत्येक ऋणदाता को सुविधा के संबंध में वे सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त होंगे जो उनके द्वारा ऐसी सुविधा के अंतर्गत किए गए संवितरण के अनुपात में होंगे।

(g) उधारकर्ता द्वारा सुविधा के संबंध में किया गया कोई भी भुगतान, प्रत्येक ऋणदाता द्वारा किए गए संवितरण के अनुपात में या प्रत्येक ऋणदाता द्वारा स्वीकृत सुविधा राशि के अनुपात में ऋणदाताओं के बीच विनियोजित किया जाएगा।

(h) बैंक की ओर से वसूली सेवाएं, अभिरक्षा सेवाएं और अन्य निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए एनबीएफसी को अलग से शुल्क प्राप्त होगा, जो एनबीएफसी और बैंक के बीच आपसी सहमति से तय किया जाएगा। एनबीएफसी को देय यह शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

(i) भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

a. ऋणदाताओं की ओर से, एनबीएफसी उधारकर्ता के लिए एकल संपर्क बिंदु बना रहेगा, जिसमें सुविधा की सोर्सिंग और सर्विसिंग, सामान्य बैंकिंग अनुरोधों में सहायता, सभी समन्वय और संचार, उधारकर्ता की शिकायतों का समाधान, पुनर्भुगतान राशि का संग्रह और स्वयं द्वारा तथा अपने अधिकृत और सूचीबद्ध एजेंसियों/वसूली एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षा का प्रवर्तन/कब्जा (यदि आवश्यक हो) शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। हालाँकि, बैंक अपने विवेक से, एनबीएफसी को स्वयं या बैंक द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष से बदल सकता है। इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि उपरोक्त एकल संपर्क बिंदु में कोई भी परिवर्तन केवल उधारकर्ता को पूर्व सूचना के साथ ही किया जाएगा
b. यदि बैंक ने अपने विवेक से एकल संपर्क बिंदु के रूप में एनबीएफसी को प्रतिस्थापित कर दिया है, तो उधारकर्ता तदनुसार बैंक या ऐसे किसी तीसरे पक्ष को एकल संपर्क बिंदु के रूप में मान्यता देगा, जिसमें सुविधा के तहत धन की पुनर्भुगतान भी शामिल है।
c. ऋण लेने वाला यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता इस सुविधा में अपने-अपने हिस्से के लिए ऋण लेने वाले का खाता अलग से बनाए रखेंगे।
d. ऋणकर्ता यह स्वीकार करता है कि ऋणकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा (जिसमें क्रेडिट इतिहास या चूक की रिपोर्टिंग भी शामिल है) को साझा करने और रिपोर्ट करने के संबंध में सभी सहमति एनबीएफसी के साथ-साथ बैंक पर भी लागू होगी। तदनुसार, बैंक को इस सुविधा समझौते के तहत लागू क्रेडिट ब्यूरो/केंद्रीय सूचना ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को सुविधा में अपनी भूमिका के लिए ऋणकर्ता के खाते की जानकारी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।
e. एनबीसी अपने और बैंक की ओर से सभी लेनदेन दस्तावेजों की अभिरक्षा अपने पास रखेगी।

2.2 राशि

(a) उधारकर्ता(कों) के अनुरोध पर, ऋणदाताओं ने उधारकर्ता(कों) को, अपने विवेकानुसार, अनुसूची । में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होने वाली राशि, इसमें निहित शर्तों और नियमों के अनुसार तथा अनुसूची । में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है।"उद्देश्य").

(b) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारदाताओं के पास सुविधा की स्वीकृत राशि को कम करने या सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी समय बकाया बिना उपयोग की गई प्रतिबद्धताओं सहित सुविधा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, और उधारदाता उधारकर्ता को सूचना प्रदान करने का प्रयास करेंगे

(c) उधारकर्ता(कों) द्वारा इस सुविधा का लाभ अनुसूची । में विशेष रूप से निर्धारित अवधि के भीतर उठाया जाएगा।"उपलब्धता अवधि"ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर उपलब्धता अवधि को संशोधित/विस्तारित कर सकते हैं। जब तक ऋणदाता अन्यथा सहमत न हों, उपलब्धता अवधि की समाप्ति पर उधारकर्ता(कों) का सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि उपलब्धता अवधि के भीतर पूर्ण संवितरण नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता(कों) को उस तिथि तक संवितरित की गई कुल राशि, यदि कोई हो, ऋणदाताओं के विवेकाधिकार पर, सुविधा राशि मानी जाएगी और ऋणदाताओं को कोई और राशि अग्रिम/संवितरित करने की आवश्यकता नहीं होगी और मासिक किस्त तुरंत शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, अनुसूची । में उल्लिखित सुविधा राशि के बावजूद, अब तक अग्रिम की गई राशि को इस सुविधा समझौते के प्रयोजन के लिए सुविधा माना जाएगा। किसी भी स्थिति में, प्रसंस्करण शुल्क या प्रशासनिक शुल्क का कोई भी हिस्सा उधारकर्ता(कों) द्वारा ऋणदाताओं को भविष्य में देय किसी अन्य शुल्क या फीस के लिए वापस या समायोजित नहीं किया जाएगा

(d) यदि उधारकर्ता ने एकाधिक किस्तों में सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, तो ऋणदाता उन किस्तों में प्राप्त सुविधा के प्रकार/प्रकृति के अनुरूप ऋण खाते खोलेंगे और उनका रखरखाव करेंगे।

2.3 देय ब्याज

(a) ऋणकर्ता (ऋणदाता) ऋणदाताओं को निम्नलिखित पर ब्याज का भुगतान करेंगे: (i) सुविधा की बकाया मूल राशि; और (ii) लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं को देय सभी राशियाँ, अनुसूची। में निर्दिष्ट लागू ब्याज दर पर। ऋणकर्ता (ऋणदाता) स्वीकार करते हैं कि सुविधा पर ब्याज की गणना संबंधित सुविधा के वितरण/उपयोग की तिथि (जैसा भी मामला हो) से वास्तविक दैनिक बकाया राशि पर मासिक आधार पर या आरबीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित या ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। यदि सुविधा रुपये के सावधि ऋण के रूप में है, तो ब्याज की गणना एक वर्ष में 360 (तीन सौ साठ) दिनों के आधार पर की जाएगी। देय तिथि तक देय और बकाया सभी ब्याज को मूलधन में जोड़कर देय तिथि तक के बकाया ब्याज (जिसमें बकाया मासिक किस्त भी शामिल है) में शामिल कर लिया जाएगा और इसके बाद देय राशि के भुगतान/वापसी होने तक उस पर लागू ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा।

(b) मासिक किस्त शुरू होने तक, उधारकर्ता (उधारकर्ता) पूर्व मासिक किस्त ब्याज का मासिक भुगतान करेंगे और पूर्व मासिक किस्त ब्याज का प्रत्येक भुगतान अनुसूची। में निर्दिष्ट लागू ब्याज दर पर होगा।

(c) यदि भुगतान पोस्ट-डेटेड चेक/चेक बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है, तो यदि ब्याज डेबिट की तिथि किसी ऐसे दिन पड़ती है जो कार्यदिवस नहीं है, तो ब्याज अगले कार्यदिवस पर संबंधित ओवरड्राफ्ट खाते/मनी सेवर खाते से डेबिट किया जाएगा। "ब्याज अवधि" से तात्पर्य पिछले कैलेंडर माह में ब्याज डेबिट की तिथि से शुरू होकर अगले कैलेंडर माह में ब्याज डेबिट की तिथि से एक दिन पहले समाप्त होने वाली अवधि से है।

(d) ऋण लेने वाला/वाले सहमत हैं कि यदि उन्होंने अर्ध-निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुना है, तो निर्धारित अवधि पूरी होने पर, ऋणदाता बकाया सुविधा राशि पर उस समय लागू बाहरी बेंचमार्क दर और सुविधा पर लागू स्प्रेड (जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची। में निर्दिष्ट है) के अनुसार ब्याज वसूलेंगे। यदि ऋण लेने वाला/वाले लागू समायोज्य ब्याज दर से सहमत नहीं हैं, तो वे ब्याज दर में परिवर्तन के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, इस सुविधा समझौते के पूर्व भुगतान संबंधी प्रावधानों के अनुसार, ऋणदाताओं को देय बकाया सुविधा राशि का पूर्ण भुगतान कर सकते हैं।

(e) यदि उधारकर्ता ने अर्ध-निश्चित ब्याज दर या समायोज्य ब्याज दर का विकल्प चुना है,

i) उधारकर्ता इस तथ्य से अवगत है कि बाह्य बेंचमार्क दर में किसी भी परिवर्तन से मासिक किस्तों या अवधि या दोनों में वृद्धि हो सकती है।

ii) लागू ब्याज दर के पुनर्निर्धारण के समय, उधारकर्ता(ओं) के पास ऋणदाता की नीति के अनुसार निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प होगा।

iii) इसके अतिरिक्त, लागू ब्याज दर के पुनर्निर्धारण के समय, उधारकर्ता(ओं) के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे: (i) सुविधा की अवधि बढ़ाना; या (ii) सुविधा की मासिक किस्त बढ़ाना; या (iii) सुविधा की अवधि बढ़ाना और मासिक किस्त बढ़ाना; या (iv) लागू पूर्वभुगतान शुल्क (यदि कोई हो) के अधीन, सुविधा का आंशिक या पूर्ण पूर्वभुगतान करना। पूर्वभुगतान का विकल्प सुविधा समझौते में पूर्वभुगतान संबंधी प्रावधानों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा।

उपरोक्त परिवर्तनों के लिए ऋणदाता द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और रूपांतरण शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क (यदि कोई हो) या ऋणदाता द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर लागू होने वाले अन्य शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक हो सकता है। ये परिवर्तन आवेदन की तिथि के आधार पर अगली देय तिथि या उसके बाद की देय तिथियों से प्रभावी होंगे। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ब्याज के प्रकार/दर में परिवर्तन होने पर प्रशासनिक प्रयोजन के लिए ऋण का पुनर्वर्गीकरण करना पड़ सकता है। मासिक किस्त या अवधि या दोनों में किसी भी परिवर्तन की सूचना उधारकर्ता को निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से दी जाएगी: (i) पत्र; (ii) ईमेल; (iii) एसएमएस; (iv) खाता विवरण।

(f) इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि उधारकर्ता के क्रेडिट मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन होने पर और/या क्रेडिट जोखिम प्रोफ़ाइल में गिरावट आने पर ("क्रेडिट प्रोफ़ाइल में गिरावट") ऋणदाता किसी भी समय स्प्रेड को रीसेट करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। क्रेडिट प्रोफ़ाइल में गिरावट में निम्नलिखित घटनाएँ शामिल होंगी, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
(i) क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा निर्धारित उधारकर्ता(कों) के क्रेडिट स्कोर में उल्लेखनीय कमी;
(ii) आरबीआई की जानबूझकर चूक करने वालों की सूची या धोखाधड़ी सूची में उधारकर्ता(ओं) का नाम शामिल होना;
(iii) ऋणदाताओं या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था के साथ उधारकर्ता(कों) के साख और पुनर्भुगतान व्यवहार में गिरावट;
(iv) प्रदान की गई संपार्श्विक/सुरक्षा का क्षरण;
(v) किसी भी लागू कानून/नियमों का अनुपालन न करने से संपार्श्विक/प्रतिभूति की गुणवत्ता में गिरावट आना;
(vi) ऋणदाताओं की राय में कोई अन्य कारण/घटना, जो उधारकर्ता(ओं) के क्रेडिट मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन और/या क्रेडिट जोखिम प्रोफ़ाइल में गिरावट का कारण बनती है या बन सकती है।

2.4 शर्तों के उल्लंघन पर दंडात्मक शुल्क

(a) अनुबंध और/या कानून के तहत ऋणदाताओं के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस सुविधा के तहत देय कोई भी राशि नियत तिथि पर अदा नहीं की जाती है या उधारकर्ता सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है और/या इस सुविधा की किसी भी महत्वपूर्ण शर्त का उल्लंघन करता है, तो ऋणदाताओं को अनुसूची। में निर्दिष्ट दर पर, अपने विवेकानुसार, दंडात्मक शुल्क लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा। ऐसे दंडात्मक शुल्क लगाए जाने पर, उधारकर्ता उक्त दंडात्मक शुल्क के साथ लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अन्य कर (किसी भी प्रकार के), शुल्क और दंड का भुगतान करेगा, जो समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार इस सुविधा के संबंध में देय हो सकते हैं।

(b) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि दंडात्मक शुल्क उचित हैं और सुविधा समझौते की महत्वपूर्ण शर्तों का पालन न करने के अनुरूप हैं।

2.5 संवितरण के तरीके

(a) सावधि ऋण के रूप में दी जाने वाली सुविधा के मामले में, ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध पर और ऋणदाताओं द्वारा तय किए गए अनुसार, एकमुश्त या किश्तों/खंडों में सुविधा का वितरण कर सकते हैं, बशर्ते इस सुविधा समझौते में निर्धारित पूर्व शर्तों की पूर्ति हो। सुविधा के तहत वितरण ऋणदाताओं द्वारा वितरण के लिए खोले गए एक एस्क्रो खाते में किया जाएगा। वितरण अनुसूची उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत उधारकर्ता/डेवलपर/बिल्डर की मांग अनुसूची के अनुसार होगी।

(b) लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध पर, यह सुविधा (i) संपत्ति(यों) के खरीद मूल्य के भुगतान के लिए विक्रेता, बिल्डर, डेवलपर, प्रमोटर के नाम पर; या (ii) सुविधा का उपयोग करके लिए जाने वाले पिछले ऋण/सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए पिछले वित्तदाता के नाम पर; या (iii) उधारकर्ता(ओं) के नाम पर या उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्रत्येक संवितरण के समय निर्दिष्ट/निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वितरित की जा सकती है।

(c) उधारकर्ता(कों) के अनुरोध पर उपर्युक्त व्यक्तियों को सीधे किया गया कोई भी संवितरण उधारकर्ता(कों) को किया गया संवितरण माना जाएगा और एक बार ऐसा संवितरण हो जाने के बाद उधारकर्ता(कों) और उपर्युक्त व्यक्तियों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में ऋणदाता उत्तरदायी नहीं होंगे।

2.6 सुविधा के वितरण से पहले की शर्तें

(a) इस सुविधा के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा संवितरण करने का दायित्व निम्नलिखित शर्तों और/या ऋणदाताओं द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन होगा:
   (i) कोई चूक की घटना न तो घटी है और न ही वर्तमान में मौजूद है;
   (ii) क्रेडिट प्रोफाइल में गिरावट की कोई घटना नहीं हुई है;
   (iii) जहां उधारकर्ता (उधारकर्ता) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 या भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित लागू अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति है, वहां उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को उधार लेने और उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के बकाया के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां, प्राधिकरण, अनुमोदन, स्वीकृति प्राप्त करनी होंगी और उसमें निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होगा;
   (iv) संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण में कोई देरी नहीं है और इसका निर्माण सहमत समयसीमा के अनुसार किया जा रहा है।
   (v) ऋण लेने वाले व्यक्ति ने सह-ऋण व्यवस्था, ऋण की चुकौती प्रक्रिया, अवधि, आवधिकता, राशि और ऋण की चुकौती के तरीके सहित सुविधा की सभी शर्तों को समझ लिया है और इसलिए ऋण लेने वाले व्यक्ति ने ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में संवितरण के लिए अनुरोध किया है।

(b) ऋण लेने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को ऋणदाताओं द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो निम्नलिखित बातों को स्थापित करते हों:
   (i) ऋण लेने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को उद्देश्य के लिए भुगतान की आवश्यकता है और ऋणदाताओं द्वारा सुविधा के तहत किए गए पिछले भुगतान, यदि कोई हो, का उपयोग उद्देश्य के लिए किया जा चुका है;
   (ii) ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे उधारकर्ता(ओं) के लिए लेनदेन दस्तावेजों के तहत दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाए;
   (iii) इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन और अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं और उनका अनुपालन किया गया है;

(iv) यदि लागू हो, तो संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिस पर ऋणदाता को हानि प्राप्तकर्ता के रूप में विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है;

(v) ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, जो ऋणकर्ता के संपत्ति (संपत्तियों) पर स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व को प्रमाणित करते हों;

(vi) ऋणदाताओं द्वारा अपेक्षित सुरक्षा का निर्माण और उसे पूर्ण करना;

(vii) यदि लागू हो तो, उधारकर्ता ने संपत्ति(यों) की कीमत में स्वयं का योगदान दिया है;

(viii) संपत्ति (संपत्तियों) के अधिग्रहण के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं;

(ix) यदि ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक हो, तो वास्तुकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जो यह प्रमाणित करता हो कि संपत्ति (संपत्तियां) अनुमोदित योजना या भवन उपनियमों के अनुसार ही बनी है;

(c) यदि ऋणदाता द्वारा ऋण का भुगतान कर दिया गया है और ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाताओं को भुगतान न किया गया है, तो ऋण लेने वाला यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता, ऋण लेने वाले के प्रतिनिधि/अटॉर्नी के रूप में, बिल्डर/प्रमोटर/विक्रेता/डेवलपर के साथ संपत्ति के लिए ऋण लेने वाले के आदेश/बुकिंग को रद्द करने या निरस्त करने का हकदार होगा (लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा), और बुकिंग मूल्य और अन्य राशियों की वापसी प्राप्त करने का भी हकदार होगा जो ऐसे बिल्डर/प्रमोटर/विक्रेता/डेवलपर/व्यक्तियों को भुगतान की गई हों (उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा की गई किसी भी कटौती के बाद), और इसे ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाताओं को देय किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित करेगा। ऋण लेने वाले और विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर/प्रमोटर के बीच विवादों के बावजूद, लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋण लेने वाले का दायित्व बना रहेगा।

2.7 पुनर्भुगतान

(a) यदि सुविधा सावधि ऋण के रूप में ली गई है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को मासिक किस्तों में सुविधा का भुगतान करेगा। मासिक किस्तों की संख्या, राशि और देय तिथियां अनुसूची। में निर्दिष्ट होंगी और ऋणदाता समय-समय पर इन्हें निर्दिष्ट कर सकते हैं।

(b) ऋणकर्ता भुगतान हेतु वैध ECS/SI/ACH/NACH निर्देश प्रदान करने के लिए सहमत है। ऐसे निर्देशों के अभाव में, ऋणदाता को पोस्टडेटेड चेक प्राप्त करने और प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। वैध ECS/SI/ACH/NACH के सक्रिय होने पर या ऋण बंद होने के 60 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, ऋणदाता अपने विवेकानुसार पोस्टडेटेड चेक नष्ट कर सकता है और इसकी सूचना ऋणकर्ता को देगा।

(c) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ICICI बैंक अपने विवेकाधिकार पर, सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए संशोधित/नए ECS/SI/ACH/NACH निर्देश का अनुरोध कर सकता है, जिनका उपयोग पहले जारी किए गए ECS/SI/ACH/NACH निर्देशों के प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है।

(d) इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऋणदाताओं को किसी भी समय या समय-समय पर, ऋण राशि की मासिक किस्त और अवधि की समीक्षा और पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा, चाहे ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन किया गया हो या नहीं, ऋणदाताओं द्वारा अपने विवेकानुसार, ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) द्वारा किए गए किसी आंशिक भुगतान, ब्याज की गणना की सहमत विधि के तहत देय ब्याज के प्रतिशत में परिवर्तन, या ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) द्वारा एक प्रकार/दर से दूसरे प्रकार/दर में परिवर्तन के कारण। बशर्ते कि, यदि ऐसी समीक्षा/पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप, ऋण की मूल अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो, तो यह केवल अनुमत अवधि तक ही किया जाएगा और ऐसी स्थिति में, ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) को ऋणदाताओं द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित संशोधित अनुसूची के अनुसार ऋण या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

जहां इस प्रकार के परिवर्तन या पुनर्निर्धारण में निम्नलिखित में बदलाव शामिल हैं:
i) मासिक किस्त के भुगतान की तिथि; या
ii) ब्याज की राशि, मूलधन या उसकी मासिक किस्त संख्या; या
iii) मासिक किस्त ब्याज भुगतान को पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है; या
iv) मासिक किस्त के परिणामस्वरूप सुविधा की अवधि उधारकर्ता(कों) की सेवानिवृत्ति आयु से अधिक हो जाती है; या
v) किसी अन्य कारण से मासिक किस्त में परिवर्तन हो सकता है;
ऋणकर्ता सहमत है और वचन देता है कि वह तत्काल नए पोस्टडेटेड चेक, नए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (एसआई) या डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम (ईसीएस) के लिए नए इंस्ट्रक्शन जारी करेगा, जैसा भी मामला हो। परिवर्तन/पुनर्निर्धारण की स्थिति में मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित रूपांतरण शुल्क लागू होंगे।

(e) यदि दस्तावेजों के गुम होने, खो जाने या क्षतिग्रस्त होने में ऋणदाता की कोई गलती नहीं है, तो ऋणदाता किसी भी प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।

(f) ऋणदाताओं द्वारा ऋण लेने वाले (लेने वालों) द्वारा ऋण लेने वाले (लेने वालों) के बीच किसी अन्य समझौते के तहत ऋण लेने वाले (लेने वालों) को देय किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए इस तरह के किसी भी विनियोजन के बावजूद, ऋण लेने वाले (लेने वालों) ऋण लेने वाले (लेने वालों) के सभी बकाया/शेष राशि के लिए ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे।

2.8 मासिक किस्तों में भुगतान/पुनर्भुगतान

(a) जहां सुविधा का वितरण एक ही बार में किया जाता है, वहां सुविधा का पुनर्भुगतान अनुसूची। में निर्दिष्ट सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

(b) जहां सुविधा एक से अधिक किश्तों में वितरित की जाती है, वहां उधारकर्ता (उधारकर्ता) ऋणदाताओं के साथ आपसी समझौते से निम्नलिखित तीन विकल्पों में से एक का चयन कर सकते हैं।

i. मासिक किस्त से पूर्व ब्याज (PMII): उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि यदि सुविधा किस्तों में वितरित की जाती है, तो सुविधा पूरी तरह से वितरित होने तक ऋणदाता उधारकर्ता से इस सुविधा समझौते में निर्धारित तरीके से मासिक किस्त से पूर्व ब्याज ही वसूल करेगा। मासिक किस्त सुविधा पूरी तरह से वितरित होने पर या उपलब्धता अवधि समाप्त होने पर देय होगी, जैसा भी मामला हो।

उदाहरण के लिए: स्वीकृत राशि: ₹1,00,00,000, संवितरण राशि: ₹30,00,000, लागू ब्याज दर: 7% प्रति वर्ष, अवधि: 240 महीने, देय तिथि: प्रत्येक माह की 1 तारीख, संवितरण तिथि: 12 जनवरी, 2022, संवितरण चेक सौंपने की तिथि: 12 जनवरी, 2022, फिर टूटे हुए दिनों का ब्याज 12 जनवरी से 31 जनवरी, 2022 तक के वास्तविक दिनों की संख्या पर लगाया जाएगा, अर्थात् ब्याज की गणना इस प्रकार की जाएगी - 3000000*7*20/360*100 = ₹11666;

अगले महीने के लिए ब्याज की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाएगी, न कि वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर, अर्थात् 3000000*7*30/360*100 = 17500 रुपये।

ii. संपूर्ण सुविधा राशि/स्वीकृत राशि पर मासिक किस्त: उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि सुविधा के तहत वितरित वास्तविक राशि चाहे जो भी हो, संपूर्ण सुविधा राशि पर मासिक किस्त ऋणदाता द्वारा पहली किस्त जारी किए जाने की तिथि से शुरू होगी और उधारकर्ता द्वारा देय होगी। मासिक किस्तों की गणना ऋणदाता द्वारा सुविधा की स्वीकृत राशि पर की जाएगी और मूलधन और ब्याज के लिए देय राशि तदनुसार आवंटित की जाएगी, और उधारकर्ता बिना किसी विवाद के इसका भुगतान करने का वचन देता है। उधारकर्ता समझता है कि यदि सुविधा की पूरी राशि वितरित नहीं की जाती है, तो उधारकर्ता ब्याज और मूलधन के लिए किए गए भुगतानों की पुनर्गणना का हकदार नहीं होगा।

उदाहरण के लिए: स्वीकृति राशि: ₹3,00,00,000, संवितरण राशि: ₹30,00,000, लागू ब्याज दर: 8% प्रति वर्ष, अवधि: 180 महीने, देय तिथि: प्रत्येक माह की 5 तारीख, संवितरण तिथि: 31 दिसंबर 2021, फिर टूटे हुए दिनों का ब्याज 31 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक वास्तविक दिनों की संख्या पर लगाया जाएगा, यानी ब्याज की गणना ₹3000000 * 8 * 5 / 360 * 100 = ₹3334 के रूप में की जाएगी।

05/02/2022 से स्वीकृत राशि यानी 30000000 रुपये पर मासिक किस्त 286695 रुपये से शुरू होगी और मूल अवधि यानी 180 महीने 11 महीने कम हो जाएगी। प्रत्येक अतिरिक्त भुगतान पर अवधि बढ़ाई जाएगी और मासिक किस्त स्थिर रहेगी। अतिरिक्त भुगतान राशि पर ब्याज अतिरिक्त भुगतान की तारीख से ही लगाया जाएगा, मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा।

iii. वितरित राशि पर मासिक किस्त: उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि मासिक किस्तें ऋणदाता द्वारा पहली किस्त जारी किए जाने की तारीख से शुरू होंगी और उधारकर्ता द्वारा देय होंगी। मासिक किस्त की गणना ऋणदाता द्वारा पूरी अवधि के लिए की गई वास्तविक भुगतान राशि के आधार पर की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक अगली भुगतान राशि के बाद, मासिक किस्त की गणना तदनुसार पुनर्निर्धारित की जाएगी। ऋणदाता समय-समय पर भुगतान अनुसूची में संशोधन करेगा।

उदाहरण के लिए: स्वीकृति राशि: ₹3,00,00,000, संवितरण राशि: ₹30,00,000, लागू ब्याज दर: 8% प्रति वर्ष, अवधि: 150 महीने, देय तिथि: प्रत्येक माह की 5 तारीख, संवितरण तिथि: 31 दिसंबर 2021, फिर टूटे हुए दिनों का ब्याज 31 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक वास्तविक दिनों की संख्या पर लगाया जाएगा, अर्थात् ब्याज की गणना ₹3000000 * 8 * 5 / 360 * 100 = ₹3334 के रूप में की जाएगी।
05/02/2022 से, वितरित राशि यानी 30,00,000 रुपये पर 28670 रुपये की मासिक किस्त शुरू होगी। प्रत्येक अतिरिक्त वितरण पर मासिक किस्त बढ़ती जाएगी और अवधि स्थिर रहेगी। इसके अलावा, ऐसे अतिरिक्त वितरण पर ब्याज अतिरिक्त वितरण की तिथि से ही लगाया जाएगा।

सभी उदाहरण केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से दिए गए हैं।

iv. ऋण लेने वाले व्यक्ति का मासिक किस्त का भुगतान करने का दायित्व, पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार पूर्ण है, भले ही संपत्ति के निर्माण/पूर्ण होने/कब्जे के हस्तांतरण में कोई देरी हो।

2.9 भुगतान का तरीका

(a) ऋण लेने वाला/वाले नियत तारीखों पर मासिक किस्त (या पूर्व-मासिक किस्त ब्याज, जैसा भी मामला हो) और अन्य धनराशि का भुगतान ऋणदाता(कों) द्वारा इस उद्देश्य के लिए खोले गए एस्क्रो खाते में ऐसी मासिक किस्त (या पूर्व-मासिक किस्त ब्याज, जैसा भी मामला हो) जमा करके करेगा/करेगी।

(b) ऋण लेने वाले यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त किसी भी प्रत्यक्ष विपणन एजेंट या प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट के नाम पर कोई भुगतान न किया जाए और यदि कोई भुगतान किया जाता है, तो ऋणदाता उसका उचित हिसाब रखने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(c) यदि उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना NACH मैंडेट रद्द करता है या रद्द करने का प्रयास करता है, तो उधारकर्ता द्वारा किए गए ऐसे कृत्य को ऋणदाता को अनुचित हानि पहुँचाने के आपराधिक इरादे से किया गया माना जाएगा। ऋणदाता चेक/NACH मैंडेट शुल्क, अनादर शुल्क और भुगतान चूक शुल्क वसूलने के हकदार होंगे और उधारकर्ता लेन-देन दस्तावेजों और मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट अनुसार चेक/NACH मैंडेट शुल्क, अनादर शुल्क और भुगतान चूक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त शुल्क वसूलने के ऋणदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता उधारकर्ता के विरुद्ध उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और कानून तथा/या लेन-देन दस्तावेजों के अंतर्गत अन्य अधिकारों और उपायों का प्रयोग करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक चेक पहली बार प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत हो जाए। उधारकर्ता(ओं) द्वारा मासिक किस्त और सुविधा से संबंधित अन्य राशियों के पुनर्भुगतान/भुगतान करने का दायित्व, संपत्ति(यों) की गैर-वितरण/विलंबित वितरण या उधारकर्ता(ओं) और बिल्डर/प्रवर्तक/विक्रेता/डेवलपर या संपत्ति(यों) से संबंधित किसी भी पक्ष के बीच किसी भी विवाद/मतभेद से प्रभावित नहीं होगा।

(d) ऋणदाताओं द्वारा मासिक किस्त या उस समय देय अन्य राशि से कम किसी भी भुगतान को स्वीकार करना, उस समय या बाद में किसी भी समय पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के ऋणदाताओं के अधिकार का त्याग या लेनदेन दस्तावेजों के तहत किसी भी अन्य अधिकार का त्याग नहीं माना जाएगा। किसी भी विधि से किए गए भुगतानों के लिए क्रेडिट केवल प्राप्ति पर या संबंधित देय तिथि (तिथियों) पर दिया जाएगा, जो भी बाद में हो।

2.10 आवासीय/नागरिकता स्थिति में परिवर्तन के लिए पुनर्भुगतान

(क) इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता, ऋणदाताओं की मांग पर और उनके विकल्प पर, सुविधा के तहत ऋणदाताओं को देय सभी ब्याज, लागत, शुल्क और अन्य राशि सहित पूरी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करेगा, यदि:
(i) ऋण लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है; या
(ii) उधारकर्ता (उधारकर्ता) रोजगार, व्यवसाय या दीर्घकालिक प्रवास के उद्देश्य से अनुसूची। में उल्लिखित निवास देश को किसी अन्य देश में बदल देता है।

2.11 अग्रिम भुगतान और रद्द करना

(a) ऋण लेने वाला व्यक्ति, ऋणदाताओं की स्वीकृति के बिना (जो स्वीकृति ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन दी जा सकती है, जिसमें न्यूनतम पूर्व भुगतान राशि, पूर्व भुगतान शुल्क (यदि कोई हो) या रियायती ब्याज और/या कोई अन्य शुल्क, साथ ही लागू ब्याज कर या अन्य वैधानिक कर का भुगतान शामिल है), देय तिथि से पहले ऋण सुविधा की बकाया मूल राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान नहीं करेगा। यदि ऋणदाताओं द्वारा ऋण सुविधा के किसी आंशिक पूर्व भुगतान की अनुमति दी जाती है, तो ऋणदाता इस सुविधा समझौते में निर्दिष्ट मासिक किस्त की पुनर्भुगतान अनुसूची/राशि में संशोधन करने के हकदार होंगे और ऋण लेने वाला व्यक्ति संशोधित समझौते/आवेदन के अनुसार मासिक किस्त का भुगतान करेगा।

(b) ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाताओं की पूर्व स्वीकृति के बिना सुविधा या उसके किसी भी भाग को रद्द नहीं करेगा और ऐसा कोई भी रद्दीकरण ऋणदाताओं द्वारा निर्दिष्ट रद्दीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

2.12 मासिक किस्त के भुगतान में देरी

(a) इस सुविधा समझौते और लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उधारकर्ता(ओं) द्वारा नियत तिथि(तिथियों) पर एक या अधिक मासिक किस्तों का भुगतान करने में कोई चूक होती है (या नियत तिथि(तिथियों) पर मासिक किस्त का भुगतान नहीं होता है), तो ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं के पक्ष में जारी किए गए पोस्टडेटेड चेक और/या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मैंडेट और/या पुनर्भुगतान उपकरण प्रस्तुत करने/या पुनः प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।

(b) ऋण लेने वाले द्वारा भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए चुने गए तरीके के बावजूद, ऋणदाता को ऋण लेने वाले से बकाया राशि का भुगतान और/या वसूली करने का अधिकार होगा, जिसके लिए वे ऋण लेने वाले द्वारा प्रस्तुत किए गए पोस्टडेटेड चेक (यदि कोई हो) को प्रस्तुत कर सकते हैं या स्वयं या इसके लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (डेबिट) का उपयोग कर सकते हैं या ऋण लेने वाले के बकाया राशि के भुगतान/पुनर्भुगतान के किसी अन्य तरीके का उपयोग कर सकते हैं।

(c) ऋण लेने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा:

i. जब तक बकाया राशि देय है, तब तक भुगतान रोकने का निर्देश जारी न करना या पोस्टडेटेड चेक रद्द न करना;

ii. यदि ऋणदाता को किसी भी कारण से ऐसे चेक प्रस्तुत करने/डेबिट निर्देश जारी करने में कोई कठिनाई/असुविधा/बाधा आ रही हो या ऋणदाता अपने विवेक से ऐसा करना आवश्यक समझे, तो मासिक किस्त के भुगतान के लिए निष्पादित किए गए पोस्टडेटेड चेक और/या आदेश, समझौता या अन्य दस्तावेजों को तुरंत प्रतिस्थापित करना और ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार नए पोस्टडेटेड चेक, आदेश, समझौता या अन्य दस्तावेज जारी करना।

iii. ऋणदाताओं को जारी किए गए पोस्टडेटेड चेक को किसी अन्य बैंक पर जारी किए गए वैकल्पिक पोस्टडेटेड चेक से बदलना/विनिमय करना, ऋणदाताओं की पूर्व स्वीकृति से और ऋणदाताओं को लागू होने वाले "चेक स्वैप" शुल्क का भुगतान करना।

2.13 भुगतानों का विनियोजन:

जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, इस समझौते के तहत देय और ऋण लेने वाले द्वारा किया गया कोई भी भुगतान, निम्नलिखित क्रम में देय राशि के भुगतान में समायोजित किया जाएगा:

(a) ब्याज;
(b) ऋण की बकाया मूल राशि;
(c) ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च की गई लागत, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क और अन्य धनराशि;
(d) बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज और/या निर्धारित हर्जाना और/या दंडात्मक शुल्क;
(e) अग्रिम भुगतान शुल्क (यदि कोई हो) और फीस।

समझौते के निपटान, छूट, समापन आदि के मामलों में, इस समझौते के तहत देय और ऋणकर्ता द्वारा किए गए भुगतान को निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा, अर्थात्:

(a) ऋण की बकाया मूल राशि;
(b) ब्याज;
(c) ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च की गई लागत, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क और अन्य धनराशि;
(d) बकाया राशि पर अतिरिक्त ब्याज और/या निर्धारित हर्जाना और/या दंडात्मक शुल्क;
(e) अग्रिम भुगतान शुल्क (यदि कोई हो) और फीस।

2.14 कर, लागत और शुल्क

(a) ऋण लेने वाले सभी कर, जीएसटी, अन्य आयात शुल्क, लागत, प्रभार, लेवी, फीस और शुल्क, जिनमें स्टांप शुल्क और संबंधित पंजीकरण एवं फाइलिंग शुल्क शामिल हैं, का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। यदि ऋण लेने वाले उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ऋणदाता को यह राशि चुकाने और ऋण लेने वाले से वसूल करने का अधिकार होगा।

(b) ऋण लेने वाला/वाले ऋणदाताओं (जिनमें उनके न्यासी/एजेंट/प्रतिनिधि/सलाहकार/मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं) द्वारा सुविधा के संबंध में भुगतान की गई सभी राशियों और/या किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति ऋणदाताओं से मांग की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर करेगा/करेंगी अन्यथा ऋणदाता ऐसी राशियों को सुविधा की मूल राशि में शामिल करने और मासिक किस्त और/या सुविधा की अवधि को ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित अनुसार संशोधित करने के हकदार होंगे। ऐसी सभी राशियों पर भुगतान की तिथि से लेकर प्रतिपूर्ति तक लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट लागू ब्याज दर पर ब्याज लगेगा।

(c) ऋण लेने वाले व्यक्ति (ऋण लेने वाले व्यक्ति) सेवाओं/सुविधाओं के लिए संबंधित शुल्क/फीस/धन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो ऋणदाताओं द्वारा मुख्य तथ्य विवरण और लेनदेन दस्तावेजों में निर्दिष्ट दर पर या ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधिकार से निर्दिष्ट किसी अन्य दर पर देय होगा। ऋणदाताओं के पास समय-समय पर कोई भी नया अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी पूर्व सूचना ऋण लेने वाले व्यक्ति (...

(d) इस सुविधा समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा किए गए सभी भुगतान बिना किसी कटौती/रोक के किए जाएंगे, सिवाय उस स्थिति के जब उधारकर्ता(ओं) को कानून द्वारा करों की कटौती/रोक के अधीन भुगतान करना आवश्यक हो। बशर्ते कि, इस सुविधा समझौते के तहत भुगतान की गई या देय किसी भी राशि से उधारकर्ता(ओं) द्वारा काटे जाने/रोके जाने वाले सभी कर, जिनमें ब्याज, कमीशन, शुल्क, छूट, सेवा और अन्य शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय तिथि पर भुगतान किए जाएंगे और उधारकर्ता(ओं) को कानून द्वारा निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर या भुगतान किए जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, ऋणदाताओं को इस बात का

संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि कर विधिवत रूप से संबंधित प्राधिकारी को जमा कर दिया गया है और ऋणदाताओं को कर कटौती प्रमाण पत्र सौंपने होंगे।

2.15 संपत्ति(याँ)

(a) जहां सुविधा के तहत अधिग्रहित या प्रस्तावित संपत्ति/संपत्ति को सुरक्षा के रूप में पेश किया जाता है, वहां उधारकर्ता संपत्ति के स्वामित्व की उचित जांच/सत्यापन, स्वीकृत योजना, भवन उपनियमों, संपत्ति की गुणवत्ता, स्थिति और उपयुक्तता के सत्यापन और अनुपालन के लिए और विक्रेता/डेवलपर/बिल्डर/विकास प्राधिकरण से संपत्ति की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ऋणदाता संपत्ति के स्वामित्व की उचित जांच, डिलीवरी में देरी (या डिलीवरी न होने), किसी भी विलंब शुल्क, संपत्ति की गुणवत्ता, स्थिति या उपयुक्तता में किसी भी दोष या भिन्नता, विक्रेता/डेवलपर/बिल्डर/प्रवर्तक द्वारा दी गई किसी भी गारंटी या वारंटी, या विक्रेता/डेवलपर/बिल्डर/प्रवर्तक या उनके एजेंटों द्वारा संपत्ति के संबंध में किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

(b) जहां उधारकर्ता(कों) द्वारा संपत्ति(यों) का अधिग्रहण प्रस्तावित है, वहां उधारकर्ता(कों) को संपत्ति(यों) को उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष अपने नाम पर पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

(c) ऋण लेने वाला व्यक्ति, ऋणदाताओं की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यक्ति या निगमित निकाय के साथ संपत्ति के उपयोग (चाहे अनुमति और लाइसेंस द्वारा या अन्यथा), हस्तांतरण (चाहे बिक्री, पट्टा या अन्यथा द्वारा), निपटान के लिए किसी भी प्रकार का कोई समझौता/व्यवस्था नहीं करेगा।

(d) ऋण लेने वाला व्यक्ति संपत्ति को सभी प्रकार के ग्रहणाधिकारों, प्रभारों, भारों से मुक्त रखेगा (ऋणदाताओं/उनके न्यासियों/एजेंटों के पक्ष में बनाई गई/बनाई जाने वाली सुरक्षा को छोड़कर, यदि ऋणदाताओं द्वारा ऐसा आवश्यक हो)।

(e) उधारकर्ता को किसी भी ऐसे दस्तावेज़, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या अन्य शुल्क या किसी भी गुप्त या स्पष्ट दोष की जानकारी नहीं है जो संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित करता हो या संपत्ति या उसके स्वामित्व में किसी भी ऐसे महत्वपूर्ण दोष की जानकारी नहीं है जो अप्रकट रहा हो और/या जो ऋणदाताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो और उसने ऋणदाताओं को संपत्ति के संबंध में स्वामित्व विलेख उपलब्ध करा दिए हैं और ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करेगा;

(f) इस सुविधा द्वारा खरीदी गई/खरीदने के लिए प्रस्तावित संपत्ति किसी भी सक्षम प्राधिकारी की किसी भी योजना में शामिल नहीं है और न ही केंद्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगर समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी भी योजना के तहत सड़क के संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित है।

(g) यदि किसी संपत्ति के निर्माण हेतु भूमि का भूखंड खरीदने के उद्देश्य से कोई सुविधा स्वीकृत की जाती है, तो उधारकर्ता (उधारकर्ता) सभी आवश्यक स्वीकृतियों और प्रमाणपत्रों को प्राप्त करके संपत्ति का निर्माण करने का वचन देता है (जिसका निर्धारण ऋणदाताओं द्वारा किया जाएगा और वह उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) पर बाध्यकारी होगा) और यह निर्माण ऋणदाताओं या आरबीआई और/या किसी अन्य वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर, सुविधा की स्वीकृति/प्रथम संवितरण की तिथि से किया जाएगा।

(h) यदि ऋणदाताओं द्वारा स्वीकृत सुविधा का उद्देश्य निर्मित मकान/फ्लैट/भवन की खरीद है, तो उधारकर्ता यह वचन देता है कि निर्मित मकान/फ्लैट/भवन के निर्माण/विकास के लिए, उक्त इलाके के सक्षम अधिकारियों से स्वीकृति योजना आवश्यक है।[1]

(i) उधारकर्ता को संपत्ति (संपत्तियों) को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों तथा संबंधित सहकारी समिति, कॉन्डोमिनियम, लिमिटेड कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय के नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा तथा संपत्ति (संपत्तियों) के रखरखाव और अन्य शुल्कों तथा संपत्ति (संपत्तियों) या उसके उपयोग के संबंध में देय किसी भी अन्य बकाया का भुगतान करना होगा।

(j) निर्माणाधीन संपत्ति के लिए अतिरिक्त शर्तें:

यदि सुविधा का उद्देश्य निर्माणाधीन संपत्ति (संपत्तियों) को खरीदना या संपत्ति (संपत्तियों) में सुधार/मरम्मत करना है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त नियम और शर्तें लागू होंगी; स्पष्टता के लिए, "निर्माण" में संपत्ति (संपत्तियों) का संशोधन या विस्तार शामिल है और "सुधार" का अर्थ संपत्ति (संपत्तियों) में कोई भी संरचनात्मक, आंतरिक या बाहरी सुधार है जैसा कि उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) द्वारा ऋणदाताओं के साथ सहमति व्यक्त की गई है।

(i) ऋणदाता आवासीय/कार्यालय/वाणिज्यिक संपत्ति (संपत्तियों) में सुधार के उद्देश्य से सुविधा तभी प्रदान कर सकते हैं जब उधारकर्ता (उधारकर्ता) साथ ही साथ संपत्ति (संपत्तियों) की खरीद भी कर रहे हों;

(ii) ऋणदाता संपत्ति(यों) के निर्माण/सुधार के उद्देश्य से सुविधा का वितरण तभी करेंगे जब ऐसी संपत्ति का निर्माण/सुधार शुरू हो जाए और ऋणदाता को दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए;

(iii) ऋणदाता, कार्य की प्रगति के अनुसार, समय-समय पर लागू होने वाले अपने आंतरिक मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप, सुविधा के तहत किस्तों में ऋण का वितरण कर सकते हैं। इस संबंध में ऋणदाताओं का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता(ओं) पर बाध्यकारी होगा।

---

[1]यह आवश्यकता संबंधित स्थान पर लागू स्थानीय कानूनों के अधीन है।

(iv) ऋण लेने वाला व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) स्वीकृत योजनाओं के अनुसार संपत्ति/संपत्तियों का अधिग्रहण/निर्माण/सुधार/मरम्मत करना; (ii) अधिग्रहण/निर्माण/सुधार/मरम्मत पूरी होने पर नगर पालिका और अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र की सही प्रति प्रस्तुत करके ऋणदाताओं को सूचित करना; (iii) संपत्ति/संपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के प्रारंभ या पूर्णता में विलंब उत्पन्न करने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के बारे में ऋणदाताओं को तुरंत सूचित करना; (iv) खरीद/पूर्णता के बाद, सुविधा की अवधि के दौरान संपत्ति/संपत्तियों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति/संपत्तियों का मूल्य कम न हो; (v) उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा संपत्ति/संपत्तियों में प्रस्तावित किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन का विवरण सूचित करना; और (vi) संपत्ति/संपत्तियों के निर्माण/सुधार/मरम्मत की प्रगति के बारे में ऋणदाताओं को सूचित करना;

(v) उधारकर्ता, डेवलपर/प्रमोटर/बिल्डर/सोसाइटी द्वारा उधारकर्ता को संपत्ति के निर्माण/कब्जे सौंपने/पूर्ण करने में किसी भी देरी के लिए, या संपत्ति के निर्माण की गुणवत्ता, स्थिति या उपयुक्तता के लिए ऋणदाताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, भले ही ऋणदाताओं ने ऐसे डेवलपर/प्रमोटर/बिल्डर/विकास प्राधिकरण को कोई सुविधा स्वीकृत/मंजूर की हो या उधारकर्ता को ऐसे प्रमोटर/संपत्ति/बिल्डर/विकास प्राधिकरण के बारे में कोई जानकारी दी हो।

(k) उधारकर्ता इस बात से सहमत और स्वीकार करता है कि लागू कानूनों के तहत किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, ऋणदाता किसी भी प्रकार से संपत्ति (संपत्तियों) की किसी भी हानि, क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह हानि ऋणदाताओं के कब्जे में हो या ऋणदाताओं को उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपचार का प्रयोग करने या न करने के कारण हुई हो।

2.16 बीमा

(a) ऋण लेने वाला/वाले यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सभी संपत्तियां और ऋणदाताओं के पास गिरवी रखी गई/रखने वाली संपत्तियां, ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित उनके पूर्ण पुनर्स्थापन मूल्य (सर्वेयर और आर्किटेक्ट की फीस सहित) तक बीमाकृत हों, और यह बीमा उद्योग की अच्छी प्रथाओं के अनुसार आवश्यक जोखिमों से सुरक्षित हो, जिनमें आग, बिजली, विस्फोट, भूकंप, दंगा, हड़ताल, नागरिक अशांति, तूफान, आंधी, बाढ़, समुद्री जोखिम, निर्माण जोखिम और युद्ध, तथा ऋणदाताओं द्वारा निर्दिष्ट अन्य जोखिम शामिल हैं। ऋण लेने वाले/वाले यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण लेने वाले का नाम 'हानि प्राप्तकर्ता' के रूप में दर्ज हो और वे ऐसी बीमा पॉलिसियों की एक सही प्रति ऋणदाताओं को प्रस्तुत करें। ऋण लेने वाला/वाले यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त बीमाओं से संबंधित सभी प्रीमियम और अन्य देय राशि का भुगतान समय पर किया जाए।

(b) यदि उधारकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता के खर्च पर संपत्ति का बीमा करा सकता है (परंतु ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा)। यदि ऋणदाता बीमा प्रीमियम या संपत्ति के बीमा के लिए कोई अन्य राशि का भुगतान करता है, तो उधारकर्ता ऋणदाताओं द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि उधारकर्ता सुविधा का लाभ उठाने के बाद किसी भी समय बीमा प्रीमियम के भुगतान के उद्देश्य से सुविधा बढ़ाने के लिए ऋणदाताओं से संपर्क करता है, तो ऋणदाता अपने विवेक पर बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान कर सकता है, बशर्ते मासिक किस्त स्थिर रहे और सुविधा की अवधि तदनुसार बढ़ा दी जाए।

(c) संपत्ति को नुकसान या क्षति होने की स्थिति में, ऋणदाता को उधारकर्ता(ओं) के बकाया भुगतान के लिए बीमा राशि पर पहला दावा करने का अधिकार होगा। यदि बीमा राशि उधारकर्ता(ओं) के बकाया भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उधारकर्ता(ओं) को तुरंत बकाया राशि का भुगतान करना होगा।

अनुच्छेद III – सुरक्षा के लिए अनुबंध

3.1 यह सुविधा, साथ ही सभी ब्याज, निर्धारित क्षतिपूर्ति, शुल्क, पूर्व भुगतान पर प्रीमियम, लागत, प्रभार, व्यय और लेनदेन दस्तावेजों में निर्धारित या देय अन्य सभी राशियाँ, अनुसूची । में निर्धारित संपत्ति (संपत्तियों) पर प्रथम श्रेणी के बंधक और प्रभार ("सुरक्षा") द्वारा सुरक्षित होंगी, साथ ही सभी सुगमता/विशेषाधिकार/विकास अधिकार/लाभ/उपलब्धियाँ और साज-सामान/भवन और संरचनाएँ, वर्तमान और भविष्य की सभी मूर्त और/या अमूर्त संपत्तियाँ, सभी संवृद्धियाँ, अतिरिक्त साज-सामान, उपसाज, सुविधाएँ और साज-सामान, भवन, संरचनाएँ जो उधारकर्ता(ओं) के स्वामित्व/अधिग्रहित/कब्जे में हों या भविष्य में उनके स्वामित्व/अधिग्रहित/कब्जे में हों, और/या ऐसी अन्य संपत्ति (संपत्तियाँ) जो ऋणदाताओं की सहमति से ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) के स्थान पर प्रतिस्थापित या जोड़ी जा सकती हैं, या दोनों। सुरक्षा का निर्माण और उसे ऋणदाताओं को संतोषजनक रूप और तरीके से पूर्ण किया जाएगा।

3.2 यदि किसी संपत्ति के संबंध में सुरक्षा को किसी भी लागू कानून के तहत पंजीकृत करना आवश्यक है या सूचना दाखिल करना आवश्यक है (जहां भी लागू हो), तो उधारकर्ता, यदि ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक हो, तो ऐसी सुरक्षा के निर्माण की तिथि से 10 (दस) दिनों के भीतर ऐसी सुरक्षा को पंजीकृत करवाएगा या उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करेगा और मूल सुरक्षा दस्तावेज ऋणदाताओं को प्रस्तुत करेगा।

3.3 यदि किसी संपत्ति के विरुद्ध मौजूदा ऋण/सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए सुविधा का लाभ उठाया गया है, तो उधारकर्ता सुविधा के वितरण के 7 (सात) दिनों के भीतर संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के अभिलेखों से पूर्व सुरक्षा हित को हटवाएगा और यदि कोई सुरक्षा ऋणदाता/उनके न्यासी या एजेंट के पक्ष में है, तो उसे ऐसे पंजीकरण प्राधिकरण के साथ पंजीकृत करवाएगा या संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण को सूचना भेजेगा।

3.4 ऋणदाताओं के अनुरोध पर, उधारकर्ता (उधारकर्ता) अनुसूची। में उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) ("गारंटर") से सुविधा के तहत देय राशि, ब्याज, दंडात्मक शुल्क, फीस, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, प्रभार और व्यय तथा सुविधा समझौते के तहत ऋणदाताओं को देय अन्य सभी राशियों के भुगतान के लिए गारंटी प्राप्त करेंगे।

3.5 लेन-देन दस्तावेजों में निर्माण और/या पूर्णता के लिए समयसीमा निर्धारित न की गई सभी सुरक्षा/गारंटी (गारंटियों) का निर्माण और पूर्णता की जाएगी तथा उनकी सभी औपचारिकताएं उधारदाताओं को संतोषजनक रूप और तरीके से पूरी की जाएंगी, जो सुविधा के तहत संवितरण के लिए एक पूर्व शर्त है।

3.6 यदि उधारकर्ता(ओं) और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋणदाताओं/उनके न्यासी या एजेंटों के पक्ष में कोई सुरक्षा बनाई गई है और/या सुविधा के संबंध में दी गई गारंटी(गारंटियाँ) सुविधा के अंतर्गत देय सभी राशियों का पूर्ण भुगतान होने तक जारी रहेंगी और (क) उधारकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता(ओं) द्वारा खाते के निपटान से समाप्त नहीं की जाएंगी; (ख) उधारकर्ता(ओं) के बकाया के संबंध में ऋणदाताओं द्वारा किसी भी समय रखी गई किसी अन्य सुरक्षा के अतिरिक्त होंगी और उसका उल्लंघन नहीं करेंगी; (ग) सुविधा के संबंध में ऋणदाताओं और उधारकर्ता(ओं) के बीच सभी खातों का अंतिम निपटान होने तक ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेंगी।

3.7 यदि सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी समय ऋणदाता यह राय रखते हैं कि सुविधा के लिए प्रदान की गई सुरक्षा अपर्याप्त है या अपर्याप्त हो जाएगी, तो उधारकर्ता (उधारकर्ता) ऋणदाताओं को ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेंगे जो ऋणदाताओं को स्वीकार्य हो। यदि उधारकर्ता (उधारकर्ता) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा, यदि कोई हो, सुविधा का लाभ उठाते समय उधारकर्ता (उधारकर्ता) द्वारा घोषित मूल्य और आवेदन में घोषित मूल्य से कम पाई जाती है, तो ऋणदाता अपने विवेक पर, ऐसे चूक को चूक की घटना मान सकते हैं।

अनुच्छेद IV – प्रतिनिधित्व और वारंटी

4.1 उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा घोषणा करता है, प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है कि:

(a) उधारकर्ता(ओं) ने उधारदाताओं के बीच सह-ऋण व्यवस्था को समझ लिया है

(b) ऋण लेने वाले व्यक्ति(यों) द्वारा लेनदेन दस्तावेजों पर विधिवत और वैध रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं, प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज ऋण लेने वाले व्यक्ति(यों) का एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है और हस्ताक्षर होने पर बन जाएगा, जो संबंधित शर्तों, लागू कानूनों और संवैधानिक दस्तावेजों (यदि कोई हो) या उसकी परिसंपत्तियों/संपत्तियों से संबंधित किसी भी दस्तावेज के अनुसार लागू करने योग्य है।

(c) यदि लागू आरबीआई नियमों और दिशानिर्देशों के तहत उधारकर्ता को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है, तो ऋणदाता स्वीकृत सीमा के उपयोग को निलंबित कर सकते हैं।

(d) लेनदेन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता(ओं) के दायित्व परिसमापन / दिवालियापन / मृत्यु / विघटन / विलय या समामेलन / पुनर्निर्माण या प्रबंधन या संपत्ति(यों) के अधिग्रहण या उधारकर्ता(ओं) के उपक्रम के राष्ट्रीयकरण से प्रभावित, बाधित या समाप्त नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो; (घ) सिवाय उस सीमा तक जो ऋणदाताओं को लिखित रूप में प्रकट की गई हो:

(i) उधारकर्ता(कों) के सभी अनुबंध या समझौते, या उधारकर्ता(कों) की किसी भी सहयोगी या समूह कंपनी (यदि लागू हो) के साथ कोई भी प्रतिबद्धता, निष्पक्ष आधार पर होगी;

(ii) उधारकर्ता(कों) या उसकी किसी भी संपत्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या एजेंसी के समक्ष कोई भी मुकदमा, मध्यस्थता, प्रशासनिक और/या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है, जिसका यदि प्रतिकूल निर्णय होता है, तो महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(iii) किसी बैंकिंग कंपनी (ऋणदाता और उसकी सहायक कंपनियों सहित) के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या निदेशक या किसी बैंकिंग कंपनी (ऋणदाता सहित) द्वारा स्थापित म्यूचुअल फंड/वेंचर कैपिटल फंड के ट्रस्टियों का कोई भी रिश्तेदार (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुसार) हमारी कंपनी में भागीदार या प्रमुख शेयरधारक या निदेशक या गारंटर नहीं है या हमारी कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखता है, और ऋणदाताओं के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुसार) का कोई भी रिश्तेदार हमारी कंपनी में पर्याप्त हित नहीं रखता है या निदेशक/भागीदार या गारंटर के रूप में हितधारक नहीं है।

इस खंड के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार", "निकट संबंधी" और "वरिष्ठ अधिकारी" शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरबीआई के ऋण एवं अग्रिम संबंधी मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015, पैरा 2.2.1.8 और पैरा 2.2.2.4(ii) के अंतर्गत दिया गया है तथा इसमें किए गए किसी भी संशोधन को शामिल किया जाएगा।

(e) उधारकर्ता (या उधारकर्ता) इस सुविधा (या इसके किसी भी भाग) का उपयोग किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या सट्टेबाजी के उद्देश्यों और/या किसी अन्य निषिद्ध उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे, जिसमें शेयर बाजारों/आईपीओ/कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं/भूमि खरीद/पूंजी बाजार में निवेश/फंजिबल एफएसआई की लागत, प्रीमियम, हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) की लागत और भूमि अधिग्रहण/भारतीय कंपनियों के

इक्विटी शेयर अधिग्रहण/भारतीय कंपनियों में शेयरों की बायबैक/परियोजना में प्रमोटर के योगदान के वित्तपोषण से संबंधित अन्य लागतें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(f) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आवास ऋण पर मिलने वाले आयकर लाभ सहायक उद्देश्यों के लिए सुविधा के संबंध में उधारकर्ता(ओं) को उपलब्ध नहीं होंगे। इस खंड के लिए सहायक उद्देश्यों का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी उद्देश्य होगा: व्यवसाय, शिक्षा, संपत्ति की खरीद, नवीनीकरण/मरम्मत, चिकित्सा उपचार, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (निवासी भारतीय उधारकर्ता(ओं) के मामले में) या कोई अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता;

(g) ऋणग्राही ऋण का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेगा जिनका उल्लेख उसने अपने ऋण आवेदन/अंतिम उपयोग पत्र में किया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। ऋणग्राही इस बात से भी सहमत है कि ऋणदाताओं को ऋणग्राही द्वारा बताए गए अंतिम उपयोग की निगरानी या लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जिसमें ऋणग्राही के लेखापरीक्षकों को अलग से लेखापरीक्षा सौंपने का अधिकार भी शामिल है।

(h) यदि ऋण लेने वाली कंपनी है, तो वह अपने बोर्ड में निम्नलिखित को शामिल नहीं करेगी:किसी कंपनी के प्रमोटर या निदेशक को, जो जानबूझकर डिफ़ॉल्टर है, या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना जो आरबीआई द्वारा जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किए गए उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हो।और/या समय-समय पर किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा या यदि उधारकर्ता'यदि किसी उधारकर्ता के बोर्ड में कोई प्रमोटर या निदेशक है जो जानबूझकर डिफ़ॉल्टर है या उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति जानबूझकर डिफ़ॉल्टर है, तो उधारकर्ता, इसकी जानकारी होते ही, ऐसे व्यक्ति को अपने बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाएगा

(i) यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति/व्यक्ति विदेशी नागरिक है:

i. उधारकर्ता/उधारकर्ता एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ("FEMA") और उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों (समय-समय पर संशोधित) का पालन करने के लिए सहमत और वचनबद्ध हैं, जो संपत्ति की खरीद, प्रतिधारण, उपयोग और बिक्री तथा ऐसी बिक्री से प्राप्त आय को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने से संबंधित हैं। उधारकर्ता एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत सभी प्रासंगिक विनियमों (जैसा लागू हो) के अनुपालन में भारत में एक NRO/NRE खाता बनाए रखने के लिए सहमत और वचनबद्ध हैं;

ii. उधारकर्ता (उधारकर्ता) सुविधा (या उसके किसी भाग) का उपयोग कृषि या संबद्ध गतिविधियों के लिए नहीं करेंगे;

iii. उधारकर्ता (या उधारकर्ता) इस सुविधा (या इसके किसी भी भाग) का उपयोग किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं करेंगे जहां FEMA विनियमों के तहत विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है और इस सुविधा को भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा;

iv. इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग, चाहे अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, उन गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा जिनमें भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा निवेश निषिद्ध है, जैसे कि चिट फंड या निधि कंपनी का व्यवसाय, कृषि/बागान/रियल एस्टेट व्यवसाय, फार्म हाउसों का निर्माण या टीडीआर में व्यापार।

(h) इस सुविधा का उपयोग किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की सिल्लियां, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, सोने के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि शामिल हैं।

(i) ऋण लेने वाला व्यक्ति (या लेने वाले व्यक्ति) लेनदेन दस्तावेजों से संबंधित किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से स्वयं को या संपत्ति (संपत्तियों) को प्रतिरक्षा प्राप्त करने का हकदार नहीं है/नहीं होगा, और न ही वह प्रतिरक्षा का दावा करेगा;

(j) उधारकर्ता ने इस आवेदन के साथ या इसके संबंध में उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के आवेदन पत्र एकत्र करने वाले कार्यकारी को नकद, वाहक चेक या किसी अन्य रूप में कोई भुगतान नहीं किया है, सिवाय उधारदाताओं को देय प्रसंस्करण शुल्क के।

(k) ऋण लेने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के खर्च पर ऋणदाताओं को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।सभी के विरुद्धदेनदारियों (दावों, निर्णयों, लागतों, व्ययों, वकील की फीस, अदालती लागतों आदि सहित), जो उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा इस सुविधा समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन, या उधारकर्ता(कों) द्वारा इसमें किए गए किसी भी गलत बयान, या इसमें स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किए गए किसी भी कार्य से उत्पन्न होती हैं;

(l) न तो उधारकर्ता(ओं) और न ही कोई अन्य व्यक्ति जो इस सुविधा समझौते और/या इसके अंतर्गत किसी भी साधन और/या भुगतान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहा है, वह विशेष रूप से नामित नागरिक ("एसडीएन") है और/या संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसमें उसका विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ("ओएफएसी") शामिल है), भारत, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, सुविधा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और/या किसी अन्य देश द्वारा जारी प्रतिबंधों (सामूहिक रूप से, "प्रतिबंध") के तहत प्रतिबंधित है। उधारकर्ता(ओं) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लेन-देन किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन न करें और न ही उनके लेन-देन में कोई प्रतिबंधित व्यक्ति या संस्था शामिल हो। उधारकर्ता(ओं) सहमत हैं कि वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठाएंगे या इस सुविधा से प्राप्त आय का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लेन-देन करने या उसकी गतिविधियों के वित्तपोषण के उद्देश्य से नहीं करेंगे जो वर्तमान में उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन है।

(m) ऋण लेने वाले ने अनुसूची IV में दी गई देय तिथियों, ऋण खातों के वर्गीकरण (विशेष उल्लेख खाता, एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) से संबंधित अवधारणाओं और उदाहरणों को पढ़ और समझ लिया है। ऋण लेने वाले यह भी समझते हैं कि अनुसूची IV में उल्लिखित स्पष्टीकरण/उदाहरण केवल सामान्य स्थितियों को दर्शाने वाले हैं और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियम और स्पष्टीकरण ही मान्य होंगे।

4.2 खंड 4.1 में दिए गए प्रतिनिधित्व और वारंटी, सुविधा समझौते के तहत ऋणदाताओं द्वारा प्रत्येक संवितरण की तिथि (प्रत्येक मामले में, उस तिथि को होने वाले संवितरणों को प्रभावी करने से पहले और बाद में) और प्रत्येक देय तिथि (तिथियों) पर सत्य, सही, वैध और विद्यमान बने रहेंगे, और ये प्रतिनिधित्व, वारंटी और समझौते सुविधा समझौते के निष्पादन और सुपुर्दगी तथा सुविधा समझौते के तहत सुविधा के प्रावधान तथा ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार सुविधा और उससे संबंधित सभी धन के पूर्ण पुनर्भुगतान/भुगतान के बाद भी मान्य रहेंगे।

अनुच्छेद V – अनुबंध और वचनबद्धताएँ

5.1 सूचना संबंधी अनुबंध

जब तक इस सुविधा समझौते के तहत देय राशि बकाया रहती है, और जब तक इस समझौते के तहत देय सभी राशियों का पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं हो जाता, तब तक उधारकर्ता (उधारकर्ता) ऋणदाताओं को तुरंत सूचित करेंगे/या उन्हें निम्नलिखित जानकारी देंगे:

(a) किसी भी परिस्थिति और स्थिति का, जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है या किसी घटना या परिस्थिति का घटित होना, जिसके परिणामस्वरूप इस सुविधा समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के तहत कोई घोषणा, प्रतिनिधित्व, वारंटी, अनुबंध या शर्त किसी भी तरह से असत्य या गलत हो जाती है या हो जाती है;

(b) ऋण लेने वाले व्यक्ति को किसी भी घटना, परिस्थिति या दैवीय घटना के कारण संपत्ति को होने वाली किसी भी प्रकार की भौतिक हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा;

(c) ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) या ऋण लेने वाले (ऋण लेने वालों) द्वारा दी गई सुरक्षा के विरुद्ध दिवालियापन, बैंक दिवालियापन, परिसमापन या किसी अन्य प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू की गई हो या शुरू करने की धमकी दी गई हो;

(d) निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने के 14 (चौदह) दिनों से अधिक नहीं: (i) संविधान और/या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन; (ii) संपत्ति की चोरी/हानि/क्षति; (iii) पते (कार्यालय या निवास) / स्थान / व्यवसाय स्थल / स्थान में परिवर्तन; (iv) आवासीय स्थिति में परिवर्तन;

(e) किसी भी विलय, विभाजन, समेकन, पुनर्गठन, व्यवस्था योजना या अपने लेनदारों या शेयरधारकों के साथ समझौते को प्रभावित करना या किसी भी सहायक कंपनी के निर्माण सहित किसी भी समामेलन या पुनर्निर्माण योजना को प्रभावी बनाना या किसी भी कंपनी को अपनी सहायक कंपनी बनने की अनुमति देना;

(f) जब भी ऋणदाताओं द्वारा आवश्यकता हो, किसी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और ऑडिट किए गए वार्षिक आय विवरण के साथ आयकर अधिकारियों के पास दाखिल किए गए कर रिटर्न की एक प्रति, जो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, या नियोक्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित नवीनतम वेतन पर्ची प्रस्तुत की जानी चाहिए;

(g) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र की एक विधिवत सत्य प्रतिलिपि और अंतिम संवितरण की तिथि से 6 (छह) महीनों की अवधि के भीतर निर्माण पूर्ण होने के संबंध में एक लिखित सूचना। यदि सोसायटी/अन्य संगठन का गठन नहीं हुआ है, तो उधारकर्ता(ओं) को सोसायटी/अन्य संगठन के गठन पर, ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता(ओं) को संपत्ति(यों) की खरीद/निर्माण के लिए दी गई सुविधा के बारे में सोसायटी/अन्य संगठन को सूचित करना होगा और यदि ऋणदाताओं द्वारा आवश्यक हो, तो सोसायटी/अन्य संगठन से आवश्यक पुष्टिकरण प्राप्त करना होगा;

(h) जैसे ही उसे जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है।

5.2. सकारात्मक अनुबंध

सुविधा समझौते या लेनदेन दस्तावेजों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, उधारकर्ता (उधारकर्ता) जहां भी लागू हो, निम्नलिखित का वचन देता है और वचनबद्ध होता है:

(a) अपने निगम अस्तित्व को बनाए रखने और सभी लागू क्षेत्राधिकारों में अपने व्यवसाय और संचालन को यथावत संचालित करने के अधिकार को बनाए रखने के लिए; और ऐसे क्षेत्राधिकारों में अपने व्यवसाय और संचालन के संचालन के लिए आवश्यक सभी प्राधिकरणों, फ्रेंचाइजी और अधिकारों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए;

(b) सुविधा से संबंधित ऋणदाताओं के नियमों और शर्तों से परिचित और अद्यतन रहने के लिए;

(c) सभी वैधानिक पुस्तकों, लेखा पुस्तकों और अन्य अभिलेखों को सुव्यवसायिक प्रथाओं और लागू कानूनों के अनुसार बनाए रखना और ऋणदाताओं/उनके अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि/वैधानिक लेखा परीक्षकों/आरबीडी अधिकारी को ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित अंतराल पर अभिलेखों या संपत्तियों का निरीक्षण करने की अनुमति देना;

(d) ऋणदाताओं को अपने खर्च पर लेखा परीक्षकों (या उधारकर्ता के लेखा परीक्षकों को अलग से जनादेश देने), चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फोरेंसिक विशेषज्ञों या अन्य सलाहकारों को नियुक्त करने की अनुमति देना, ताकि वे उधारकर्ता का समवर्ती या विशेष लेखापरीक्षा या परीक्षण कर सकें, जहां नियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऐसा लेखापरीक्षा या परीक्षण करना आवश्यक हो।

(e) जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किए जाने पर ऋणदाताओं को तुरंत सूचित करना होगा और जानबूझकर डिफ़ॉल्टर के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को किसी भी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं करना होगा जहाँ वह व्यक्ति कंपनी के बोर्ड में हो या उसके मामलों के प्रबंधन का प्रभारी और जिम्मेदार हो। यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति जानबूझकर डिफ़ॉल्टर पाया जाता है, तो उधारकर्ता को ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।

(f) यदि लागू आरबीआई नियमों और दिशानिर्देशों के तहत उधारकर्ता को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है, तो बैंक स्वीकृत सीमा के उपयोग को निलंबित कर सकता है।

(g) भारत में निवासी बने रहना और सुविधा और उससे संबंधित सभी धनराशि का पूर्ण भुगतान किए बिना रोजगार या व्यवसाय के लिए लंबे समय (60 (साठ) दिनों से अधिक) के लिए भारत नहीं छोड़ना;

सूचना प्रदाताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित और सत्यापित करना;

(f) समय-समय पर लागू होने वाले सभी कानूनों, दिशा-निर्देशों, विनियमों, सरकारी निर्देशों, न्यायालयी आदेशों का अनुपालन करना;

(g) सुविधा से संबंधित लागू होने वाली किसी भी अतिरिक्त शर्तों और नियमों का पालन करना।

5.3 नकारात्मक अनुबंध:

सुविधा समझौते और लेनदेन दस्तावेजों में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, और जब तक इस सुविधा समझौते के तहत देय राशि बकाया रहती है और इसके तहत देय सभी राशि का पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं हो जाता, तब तक उधारकर्ता (उधारकर्ता) एतद्द्वारा आगे यह वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि ऋणदाताओं की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, उधारकर्ता (उधारकर्ता) निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे:

(a) अपने लेनदारों या शेयरधारकों के साथ किसी भी विलय, विभाजन, समामेलन, कॉर्पोरेट पुनर्गठन या समझौते में प्रवेश करना;

(b) किसी भी प्रकार से अपनी पूंजी संरचना या संवैधानिक दस्तावेजों में कोई भी परिवर्तन करना, जिससे ऋणदाताओं के अधिकारों या लेनदेन दस्तावेजों के तहत किसी भी पक्ष के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(c) सुविधा की अवधि के दौरान सुविधा के अंतर्गत निधियों के उपयोग के उद्देश्य को बदलना;

(d) सुविधा द्वारा खरीदी गई संपत्ति (संपत्तियों) के उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसी संपत्ति (संपत्तियों) का उपयोग आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, ऋणदाता अपने विवेक से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित उच्चतर ब्याज दर वसूलने के हकदार होंगे;

(e) उधारकर्ता(कों) को किसी अन्य निकटवर्ती संपत्ति के साथ मिलाना या विलय करना नहीं चाहिए और न ही उधारकर्ता(कों) को ऐसी संपत्ति(यों) पर किसी प्रकार का मार्ग अधिकार या कोई अन्य सुगमता अधिकार बनाना चाहिए;

(f) संपत्ति के संपूर्ण या आंशिक भाग को किसी भी प्रकार से बेचना, हस्तांतरित करना, पट्टा देना या अन्यथा निपटाना या उससे अलग होना या उससे संबंधित कोई लेन-देन करना;

(g) किसी तीसरे व्यक्ति के पक्ष में कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी, क्षतिपूर्ति पत्र या कोई अन्य विलेख निष्पादित करना, जिससे वह व्यक्ति संपत्ति(यों) के साथ किसी भी प्रकार से व्यवहार कर सके;

(h) संपत्ति को किसी पारिवारिक व्यवस्था या विभाजन के अधीन करना या संपत्ति को हफ़्ता (हिंदू अविभाजित परिवार) की संपत्ति में परिवर्तित करना;

(i) उसी उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति/बैंक/वित्तीय संस्था से कोई अतिरिक्त ऋण और/या वित्तीय सुविधा प्राप्त करना;

(j) किसी व्यक्ति के लिए ज़मानत देना या किसी व्यक्ति के ऋण या ओवरड्राफ्ट या अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान की गारंटी देना।

अनुच्छेद VI – चूक की घटनाएँ

6.1 डिफ़ॉल्ट की घटना

निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं का घटित होना सुविधा समझौते के अंतर्गत चूक की घटना मानी जाएगी।

(a) भुगतान चूक – देय तिथि (तिथियों) पर सुविधा (सुविधाओं) के संबंध में किसी भी राशि (चाहे मूलधन या ब्याज या अन्यथा) के भुगतान में चूक हुई है, चाहे निर्धारित परिपक्वता पर, त्वरित भुगतान द्वारा या अन्यथा, या यदि किसी भुगतान के संबंध में कोई चेक अनादृत हो जाता है या जहां कोई अन्य चेक उसकी समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकृत नहीं किया जाता है या उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) या गारंटर (गारंटरों) द्वारा उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के बकाया का भुगतान करने में असमर्थता की आशंका है।

(b) शर्तों का उल्लंघन – उधारकर्ता(ओं) या कोई भी गारंटर(ओं) लेनदेन दस्तावेजों के तहत किसी भी प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा, अनुबंध या शर्तों का उल्लंघन करता है/करते हैं (इस सुविधा समझौते के खंड 6.1 (ए) और 6.1 (सी) से (एम) में निर्दिष्ट घटनाओं के अलावा) और ऐसा उल्लंघन उधारकर्ता(ओं) या, जैसा भी मामला हो, ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता(ओं) या ऐसे अन्य व्यक्ति को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद 30 (तीस) दिनों की अवधि तक जारी रहता है।

(c) कानूनी कार्यवाही, दिवालियापन, ऋणमुक्ति, विघटन –

(i) यदि उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध कोई निष्पादन या कुर्की की जाती है, या यदि उधारकर्ता(ओं) की सभी या किसी भी संपत्ति पर रिसीवर या परिसमापक (अनंतिम परिसमापक सहित) नियुक्त किया गया है, या यदि उधारकर्ता(ओं) की संपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई कुर्की या कुर्की की गई है, या उधारकर्ता(ओं) से किसी भी बकाया की वसूली के लिए प्रमाण पत्र कार्यवाही की गई है या शुरू की गई है, या यदि उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध एक या एक से अधिक निर्णय या आदेश दिए गए हैं और ऐसे निर्णय या आदेश 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर रद्द, निरस्त या स्थगित नहीं किए जाते हैं, और ऐसे निर्णय या आदेश कुल मिलाकर एक ऐसी देनदारी को शामिल करते हैं जिसका भौतिक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है;

(ii) (क) यदि उधारकर्ता(कों) की दिवालियापन या दिवालियापन समाधान के संबंध में कोई याचिका या आवेदन (जिसमें भारत के दिवालियापन कानूनों के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया और दिवालियापन प्रक्रिया शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष दायर किया जाता है, या उधारकर्ता(कों) दिवालिया हो गया है या दिवालिया घोषित हो गया है या भंग हो गया है, या (ख) यदि उधारकर्ता(कों) दिवालियापन समाधान, समापन या विघटन के लिए कोई कार्रवाई करता है या कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू की जाती है या अन्य कदम उठाए जाते हैं;

(iii) कानूनी दोषसिद्धि - यदि उधारकर्ता(ओं) या गारंटर(ओं) को किसी भी प्रचलित आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है;

(iv) नियंत्रण में परिवर्तन – कोई भी व्यक्ति, अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से), ऋणदाताओं की स्वीकृति के बिना, उधारकर्ता(कों) या उधारकर्ता(कों) को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

(d) अवैधता या मृत्यु - ऋण लेने वाले (लेने वालों) या ऋणदाताओं सहित किसी भी व्यक्ति के लिए लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने-अपने दायित्वों का पालन करना गैरकानूनी हो जाता है या गैरकानूनी हो जाता है।यहां यदि कोई भी ऋण लेने वाला व्यक्ति मर जाता है या पागल हो जाता है।

(e) क्रॉस डिफॉल्ट – (i) किसी भी प्रकार की चूक की घटना घटित होती है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी ऋणदाता के साथ किसी भी ऋण से संबंधित किसी भी समझौते या दस्तावेज़ के तहत प्रदान की गई (यदि कोई हो) सुधार अवधि से आगे जारी रहती है, या उधारकर्ता(ओं) किसी भी ऋणदाता के साथ अपने किसी भी ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है या उसने लिखित रूप में अपनी असमर्थता स्वीकार की है, जब वे परिपक्व होते हैं या देय होते हैं; या (ii) उधारकर्ता(ओं) के किसी भी ऋण से संबंधित किसी भी समझौते या दस्तावेज़ के तहत किसी भी प्रकार की चूक की घटना घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(f) महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव – एक या एक से अधिक ऐसी घटनाओं का घटित होना या अस्तित्व में होना, जो ऋणदाताओं की राय में, महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

(g) यदि उधारकर्ता कर्मचारी है, तो उधारकर्ता अपने नियोक्ता से कोई योजना चुनता है या कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है जो सेवानिवृत्ति से पहले नौकरी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उधारकर्ता की नौकरी समाप्त करने पर, या उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से अपने नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर कोई लाभ प्रदान करता है।

(h) सुरक्षा- (क) यदि इस सुविधा समझौते में निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति/संपत्तियों पर सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। (ख) यदि किसी संपत्ति/संपत्तियों, जिन पर सुविधा के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, का मूल्य इतना कम हो जाता है कि ऋणदाताओं की राय में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। (ग) यदि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाताओं की लिखित स्वीकृति के बिना संपत्ति/संपत्तियों पर कोई भी ग्रहणाधिकार, प्रभार, बंधक, भार आदि स्थापित किए जाते हैं (ऋणदाताओं और/या उनके न्यासियों के पक्ष में स्थापित/स्थापित की जाने वाली सुरक्षा को छोड़कर)।

(i) सुरक्षा खतरे में - यदि ऋणदाताओं की राय में, सुविधा के लिए दी गई सुरक्षा खतरे में है या उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है या वह अवैध, अमान्य, अप्रवर्तनीय हो जाती है या अन्यथा विफल हो जाती है या उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है; या संपत्ति किसी अधिकारी, प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब्त, कुर्क, हिरासत में ले ली जाती है (या जब्त करने का प्रयास किया जाता है) या किसी निष्पादन कार्यवाही का विषय बन जाती है; या संपत्ति किसी दुर्घटना के कारण खतरे में पड़ जाती है/चोरी हो जाती है या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है।

(j) व्यवसाय का बंद होना - यदि उधारकर्ता अपने किसी भी व्यवसाय को बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है या ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना देता है, या यदि उधारकर्ता की सभी या कोई भी संपत्ति जो उसके व्यवसाय या संचालन के लिए आवश्यक या अनिवार्य है, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाती है, या आवेदन जमा करने की तिथि से उधारकर्ता के व्यवसाय, संचालन, प्रबंधन या स्वामित्व की सामान्य प्रकृति या दायरे में कोई परिवर्तन होता है, जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

6.2 चूक की सूचना

(a) ऋण लेने वाला व्यक्ति (या लेने वाले व्यक्ति) किसी भी चूक की घटना और किसी भी ऐसी घटना के बारे में जानकारी होने पर, जो चूक की घटना का गठन करती है या सूचना दिए जाने, समय बीतने, महत्व के निर्धारण या अन्य शर्तों की संतुष्टि के साथ चूक की घटना का गठन करने की संभावना है, ऋणदाताओं को तुरंत सूचित करेगा और यदि कोई हो, तो उसे दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताएगा।

(b) ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता(ओं) एतद्द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि किसी भी चूक की घटना होने पर, उधारकर्ता(ओं) सुविधा का भुगतान किए बिना उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिए गए किसी भी ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करेगा।

6.3 चूक की स्थिति में परिणाम

(a) लेनदेन दस्तावेजों या अन्यथा के तहत ऋणदाताओं को उपलब्ध किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक की घटना घटित होने पर, ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को लिखित नोटिस द्वारा निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं:

(i) सुविधा को समाप्त किया जाए और यह घोषित किया जाए कि सुविधा और उस पर अर्जित सभी ब्याज तथा सभी लागतें, शुल्क, व्यय और अन्य बकाया राशियाँ तुरंत ऋणदाताओं को देय हैं, जिसके बाद वे उधारकर्ता(ओं) द्वारा तुरंत देय हो जाएँगी तथा उधारकर्ता(ओं) बिना किसी और सूचना या किसी अन्य प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं के, सूचना की शर्तों के अनुसार सुविधा के तहत देय सभी राशि का भुगतान करेंगे; और/या

(ii) लेनदेन दस्तावेजों के तहत सुविधा के उपयोग के लिए उधारकर्ता(ओं) द्वारा आगे की पहुंच/निकासी को निलंबित करना; उधारकर्ता(ओं) का सुविधा का लाभ उठाने या उससे निकासी करने का अधिकार तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि ऋणदाता अन्यथा सूचित न करें; और/या

(iii) इस सुविधा समझौते और/या अन्य लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार बनाई गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने योग्य घोषित किया जाता है, और ऋणदाता या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसी सुरक्षा बनाई गई है, उसे अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

a. यदि कोई हो, तो सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों/परिसंपत्तियों पर प्रवेश करना और उन पर कब्जा करना; और/या

b. ऋणदाताओं के किसी अधिकारी या अधिकारियों को या संपत्ति(यों) के रिसीवर के रूप में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना; और/या

c. यदि कोई प्रतिभूति बनाई गई है, तो उसमें शामिल परिसंपत्तियों/संपत्तियों को बिक्री (निजी या सार्वजनिक नीलामी द्वारा), पट्टे, लीव एंड लाइसेंस या किसी अन्य तरीके से उधारकर्ता(कों) के जोखिम और लागत पर बेचने/हस्तांतरित करने/निपटाने का अधिकार उधारकर्ता(कों) के पास होगा, और बिक्री के किसी भी अनुबंध को रद्द करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार भी होगा, बिना किसी हानि या मूल्य में कमी के लिए बाध्य या उत्तरदायी हुए, और बिना इस अनुबंध द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुए, या ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग से होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी हुए, और खरीद राशि के लिए प्रभावी रसीदें और भुगतान देने का अधिकार होगा, और बिक्री को पूरा करने के लिए ऐसे सभी अन्य कार्य और चीजें करने का अधिकार होगा, जैसा कि ऋणदाता या प्राप्तकर्ता उचित समझे; और/या

d. इस सुविधा समझौते या अन्य लेनदेन दस्तावेजों में निहित किसी भी अनुबंध, शर्त या नियम के विशिष्ट निष्पादन के लिए, या इस सुविधा समझौते या अन्य लेनदेन दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए, या इस सुविधा समझौते या अन्य लेनदेन दस्तावेजों में प्रदत्त किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग में सहायता के लिए और/या एक लेनदार के रूप में, कानून द्वारा अनुमत किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने का अधिकार, जिसमें मुकदमा, इक्विटी या कानूनी कार्रवाई, या दोनों, या अन्यथा शामिल हैं।

(iv) उधारकर्ता(कों) के नियोक्ता से संपर्क करना और उनसे वेतन/मजदूरी में से कटौती करने और उधारकर्ता(कों) के बकाया का भुगतान होने तक ऋणदाताओं को राशि भेजने की मांग करना;

(v) नियुक्त करना: (i) तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति को उधारकर्ता(ओं) के कामकाज और/या उधारकर्ता(ओं) के परिसर, कारखानों, संयंत्रों और इकाइयों सहित संपत्तियों का निरीक्षण और जांच करने और ऋणदाताओं को रिपोर्ट करने के लिए; (ii) किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने या उधारकर्ता(ओं) द्वारा अपने कामकाज के लिए अपनाई गई वित्तीय या लागत लेखा प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में या उधारकर्ता(ओं) का विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए किसी चार्टर्ड लेखाकार/लागत लेखाकार को लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना।

(b) किसी भी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, ऋणदाताओं और उनके हितों के लाभ या संरक्षण के लिए इस सुविधा समझौते और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के सभी प्रावधान पूर्ण रूप से लागू रहेंगे।

6.4 किए गए व्यय

(क) उधारकर्ता/उधारकर्ताओं ने उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के लेनदेन दस्तावेजों को एकत्र करने वाले कार्यकारी को उधारदाताओं को देय प्रसंस्करण शुल्क के अलावा, इस आवेदन के साथ या इसके संबंध में नकद, वाहक चेक या किसी अन्य रूप में कोई भुगतान नहीं किया है।

(ख) ऋणदाताओं द्वारा चूक की घटना से पहले या बाद में किए गए सभी व्यय उधारकर्ता(ओं) द्वारा देय होंगे, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित व्यय भी शामिल हैं:

(i) उधारकर्ता(ओं) की संपत्तियों या सुविधा के लिए सुरक्षा में शामिल संपत्तियों (चाहे उस समय या उसके बाद मौजूद हों) के संरक्षण या उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई, जिसमें कानूनी मुकदमा दायर करना, रिसीवर की नियुक्ति, भुगतान के तरीके का रखरखाव न करने (एनएमएमपी) का शुल्क, पेशेवरों की सेवाओं का लाभ उठाने के शुल्क जैसे कि स्वामित्व खोज, मूल्यांकन आदि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("एसएआरएफएएसआई") की कार्यवाही में किए गए शुल्क, कागजी विज्ञापन शुल्क, पुनः प्राप्त संपत्ति की नीलामी का शुल्क, पुनः प्राप्त संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड का शुल्क, पुनः प्राप्ति के दौरान रसद सहायता प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन शुल्क, विभिन्न नोटिस भेजने में किए गए शुल्क और कोई अन्य शुल्क जो बजट में शामिल या निर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन उधारकर्ता(ओं) की ओर से उधारदाताओं द्वारा किए जाते हैं; और (ii) लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय राशियों का संग्रह।

6.5 बकाया राशि की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

यदि ऋणकर्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋणदाता को लेन-देन दस्तावेजों और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ऋणकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, ऋणदाता (स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से) लागू कानूनों के अनुसार आवेदक/ऋणकर्ता को नोटिस भेजेंगे।

बंधक/प्रतिभूतियों की वसूली प्रक्रिया, जिसमें बंधक संपत्ति पर कब्जा लेना और उसकी बिक्री करना शामिल है, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) या किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। यह प्रक्रिया संबंधित कानून के तहत निर्धारित निर्देशों के अनुसार ही की जाती है। बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कानूनी कदम उठाने से पहले, परक्राम्य लिखत अधिनियम, दीवानी मुकदमा, SARFAESI अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनी साधनों के माध्यम से ग्राहकों को सूचना/अनुस्मारक/नोटिस जारी किए जाते हैं।

लागू कानून के अनुसार, गैर-लाभकारी वित्तीय कंपनियां बकाया राशि की वसूली के लिए अपने वसूली एजेंटों/तीसरे पक्ष से वसूली एजेंट नियुक्त कर सकती हैं।

अनुच्छेद VII – विविध

7.1 रिकॉर्ड और निरीक्षण

ऋण लेने वाला व्यक्ति सभी वैधानिक बही-खातों, लेखा बही-खातों, बैंक विवरण/पासबुक और अन्य अभिलेखों को सुचारु व्यावसायिक प्रथाओं और लागू कानूनों के अनुसार रखेगा और उनका रखरखाव करेगा। ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाताओं के किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि और/या वैधानिक लेखा परीक्षकों/आरबीआई को ऋणदाताओं द्वारा निर्धारित अंतराल पर संपत्ति का तकनीकी, वित्तीय और कानूनी निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऋण लेने वाला व्यक्ति निरीक्षण करने के लिए अपनी संपत्ति/परिसर में सभी उचित समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा और पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगा। जहां भी ऋणदाताओं की राय में आवश्यक हो, ऋण लेने वाला व्यक्ति संपत्ति में प्रवेश करने के लिए ऋणदाताओं (या उनके किसी प्रतिनिधि) द्वारा अपेक्षित सभी अनुमतियां और सहमति प्राप्त करेगा।

ऋणदाता, उधारकर्ता की ऋण सुविधा/ऋण खाते/अन्य वित्तीय लेनदेन में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की आशंका होने पर, ऋणदाता अपनी नीति के अनुसार बाहरी लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से आगे की जांच कर सकते हैं और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।

7.2 संयुक्त और पृथक देयता

(a) इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता(ओं) की देनदारियां संयुक्त और अलग-अलग होंगी, और प्रत्येक उधारकर्ता(ओं) इस सुविधा के तहत संपूर्ण देनदारियों और बकाया राशियों के लिए प्राथमिक देनदार के रूप में उत्तरदायी होगा। ऋणदाता प्रत्येक या किसी भी उधारकर्ता(ओं) पर अलग-अलग और उस तरीके से और उस समय दावा करने के हकदार होंगे जैसा कि ऋणदाता निर्धारित करें, चाहे वह सुविधा के तहत संपूर्ण बकाया राशियों के लिए हो या उसके किसी भाग के लिए (चाहे उधारकर्ता(ओं) में से किसी ने भी, और चाहे जिस पक्ष के खिलाफ दावा किया जा रहा है वह वह पक्ष हो जिसने सुविधा का उपयोग किया हो या बकाया राशि का भुगतान किया हो), बिना किसी अन्य के खिलाफ कोई कार्रवाई किए या दावा किए (और चाहे जिस पक्ष के खिलाफ दावा किया जा रहा है उसने सुविधा का उपयोग किया हो या नहीं)। इसके अलावा, लागू कानूनों द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता(ओं) की देनदारियों पर निम्नलिखित द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे प्रभावित नहीं होंगी या समाप्त नहीं होंगी:

(i) किसी भी उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का समय, रियायत, छूट या रियायत प्रदान करना;
(ii) इस अनुबंध के अंतर्गत किसी भी उधारकर्ता के दायित्व या देनदारी की अमान्यता, अवैधता या अप्रवर्तनीयता;
(iii) उधारकर्ता(कों) द्वारा सुविधा की किसी भी प्रकार की अमान्यता, अनियमितता [या स्वीकृति में अनुपस्थिति];
(iv) किसी भी उधारकर्ता की इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को निभाने या उसका पालन करने की शक्तियों में कोई कमी, उसके प्रयोग में कोई अनियमितता या किसी भी उधारकर्ता की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकार का अभाव;
(v) किसी भी उधारकर्ता की दिवालियापन, दिवालिया घोषित होना, रिसीवरशिप या परिसमापन, कोई अक्षमता, विकलांगता या सीमा या उसकी शारीरिक स्थिति या दर्जे में कोई परिवर्तन;
(vi) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी अधिकार का त्याग, प्रयोग, प्रयोग में चूक, समझौता या परित्याग, या उसी के साथ कोई समझौता, व्यवस्था या निपटारा;
(vii) उधारकर्ता(कों) द्वारा सुविधा के उपयोग में कोई भी अनुचितता; और
(viii) कोई भी कार्य, चूक, घटना या परिस्थिति जो इस सुविधा समझौते या किसी भी उधारकर्ता की देयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, उसे समाप्त कर सकती है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

किसी भी संदेह से बचने के लिए, और उपरोक्त की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, यदि कोई खंड या उसका कोई भाग किसी भी कारण से किसी उधारकर्ता के विरुद्ध अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है, तो उस खंड या उसके भाग की वैधता, वैधानिकता और प्रवर्तनीयता किसी अन्य उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी।

7.3 छूट

लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं द्वारा किसी भी अधिकार या उपाय का प्रयोग करने में कोई विफलता या देरी, छूट के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग किसी आगे या अन्य प्रयोग या किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रयोग को रोकेगा। इस सुविधा समझौते और लेन-देन दस्तावेजों में प्रदान किए गए अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार या उपाय के अनन्य नहीं हैं

7.4 संशोधन

जब तक कि किसी लेन-देन दस्तावेज़ में या आरबीआई के निर्देशानुसार अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो, इस सुविधा समझौते (इसमें संलग्न अनुसूचियों सहित) में उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाताओं की सहमति के बिना कोई भी शर्त या नियम या उसका कोई भी भाग माफ नहीं किया जा सकता है

7.5 **सेट-ऑफ और विनियोग**

ऋणदाताओं को किसी भी अन्य ग्रहणाधिकार या प्रभार, चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में, उधारकर्ता(ओं) के किसी भी खाते में जमा राशि/शेष राशि (चाहे अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से) और ऋणदाताओं या उनकी किसी सहायक/संबद्ध कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में या अन्यथा किसी भी अनुबंध के तहत धारित धन, प्रतिभूतियों, बांडों और अन्य सभी परिसंपत्तियों, दस्तावेजों और संपत्तियों पर, ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता(ओं) को किसी भी क्षमता में दिए गए/दिए जाने वाले किसी भी ऋण/सुविधाओं/किसी अन्य बैंकिंग सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी बकाया देय राशियों की सीमा तक, सेट-ऑफ और ग्रहणाधिकार का सर्वोपरि अधिकार होगा। ऋणदाता, उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं को देय किसी भी ऋण का निपटान, उधारकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं (या उनकी किसी सहायक/संबद्ध कंपनी) के पास रखे गए किसी भी खाते में जमा राशि को समायोजित या समायोजित करके और/या शेष राशि को स्थानांतरित करके कर सकते हैं, जिसमें उधारकर्ता(ओं) के सभी या किसी भी खाते और देनदारियों को, जिनमें इस सुविधा से संबंधित नहीं होने वाले खाते भी शामिल हैं, किसी भी समय संयोजित या समेकित किया जा सकता है। उधारकर्ता(ओं) की दिवालियापन, बैंक दिवालियापन या परिसमापन से ऋणदाताओं के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.6 **ऋण का साक्ष्य**

ऋणदाता अपनी सामान्य प्रथा के अनुसार, समय-समय पर सुविधा (सुविधाओं) के तहत उसके द्वारा दिए गए और/या उसे देय राशियों को दर्शाने वाले खाते बनाए रखेगा, जो उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के दायित्वों के अस्तित्व और राशि का प्रथम दृष्ट्या और निर्णायक प्रमाण होगा।

7.7 **सूचना**

(क) सुविधा के अंतर्गत या उसके संबंध में सभी सूचनाएँ या अन्य संचार लिखित रूप में दिए जाएँगे और निम्नलिखित तरीके से प्रदान किए जाने पर प्रभावी माने जाएँगे:

ऋण लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को सूचना -

(i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया हो, तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाने पर; या यदि डाक द्वारा भेजा गया हो, तो पत्र को वापस मंगाने का अधिकार ऐसे नोटिस या संचार जारी करने वाले ऋणदाता(कों) के नियंत्रण से बाहर होने पर; और

(ii) यदि इसे ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या दूरसंचार माध्यम से ऋणदाता(कों) द्वारा भेजा जाता है।

ऋणदाताओं के लिए सूचना-

(i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया हो, तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाने पर; या यदि डाक द्वारा भेजा गया हो, तो पत्र को वापस मंगाने की सुविधा उधारकर्ता(कों) के नियंत्रण से बाहर होने पर; और

(ii) यदि इसे ऋणदाताओं की निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा भेजा जाता है, तो प्रत्येक ऋणदाता द्वारा प्राप्त होने पर।

हालांकि, यह शर्त है कि ऋणदाताओं को भेजी गई कोई भी सूचना या संचार तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऋणदाता द्वारा वास्तव में प्राप्त और स्वीकार न कर लिया जाए।

(b) ऋण लेने वाले (वालों) या ऋण देने वालों को, जैसा भी मामला हो, सभी सूचनाएं या संचार अनुसूची। में दिए गए पते, ईमेल पते या ऋण लेने वाले (वालों) द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए किसी अन्य पते पर भेजे जाएंगे।

(c) ऋणकर्ता(ओं) द्वारा ऋणदाताओं को ईमेल के माध्यम से भेजे गए सभी नोटिस या संचार, अनुसूची। में दिए गए अनुसार ऋणकर्ता(ओं) या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी से या ऋणकर्ता(ओं) द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में सूचित किए गए किसी अन्य अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ईमेल आईडी से भेजे जाएंगे, और ऐसे नोटिस या संचार को वैध और ऋणकर्ता(ओं) पर बाध्यकारी माना जाएगा और ऋणदाताओं को ऐसे ईमेल नोटिस या संचार पर बिना किसी और जांच या सत्यापन के, जिसमें इसकी वैधता, प्रामाणिकता या सटीकता शामिल है, भरोसा करने और कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(d) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ऋणदाताओं द्वारा दी गई कोई भी सूचना उधारकर्ता द्वारा पर्याप्त और उचित सूचना मानी जाएगी और वह किसी भी त्रुटि, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई अन्य, के कारण उपरोक्त सूचना की गैर-वितरण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए सहमत है।

7.8 असाइनमेंट

(a) ऋण लेने वाला (ऋणदाता) ऋणदाताओं की स्वीकृति के बिना लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्व को किसी अन्य को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता है। प्रत्येक ऋणदाता किसी भी समय, इस सुविधा समझौते और लेनदेन दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और दायित्व को पूर्ण या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर बेच, सौंप, नया रूप दे या हस्तांतरित कर सकता है, जैसा कि वह ऋणदाता तय करे, जिसमें इस सुविधा समझौते के तहत ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) द्वारा देय किसी भी राशि के लिए चूक की स्थिति में, ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) की ओर से ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) को सौंपना या आरक्षित करना शामिल है। ऋणदाता, यदि चाहे तो, ऐसे नियुक्त व्यक्ति को ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) के विरुद्ध सीधे कार्यवाही करने का अधिकार भी सौंप सकता है। ऐसी कोई भी बिक्री या हस्तांतरण ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) पर बाध्यकारी होगा और ऋण लेने वाले (ऋण लेने वाले) तीसरे पक्ष के नियुक्त व्यक्ति को अपना एकमात्र लेनदार या ऋणदाताओं के साथ संयुक्त लेनदार स्वीकार करेंगे। ऐसे किसी भी असाइनमेंट या हस्तांतरण के बावजूद, उधारकर्ता (उधारकर्ता) ऋणदाताओं द्वारा अन्यथा सूचित किए जाने तक, सुविधा समझौते के तहत ऋणदाताओं को सभी भुगतान करना जारी रखेंगे और ऋणदाताओं को किए गए ऐसे सभी भुगतान उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को ऐसे भुगतानों के संबंध में उनकी सभी देनदारियों से पूर्ण रूप से मुक्त कर देंगे।

ऋण लेने वाला/वाले यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि ऋणदाता किसी तीसरे पक्ष को यह सुविधा (एनबीएफसी और बैंक के बीच आपसी बिक्री/हस्तांतरण सहित) और ऋणदाताओं को देय सभी बकाया राशियाँ बेचता/हस्तांतरित करता है, तो ऐसे हस्तांतरण में इस सुविधा समझौते के तहत ऋणदाताओं के किसी भी या सभी अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण और हस्तांतरण शामिल हो सकता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार, सुविधा पर लागू संदर्भ दर/प्रमुख उधार दर निर्धारित करने का अधिकार, पुनर्मूल्यांकन और पूर्व-भुगतान शुल्क, वसूली प्रक्रिया और सुविधा से संबंधित अन्य सभी प्रासंगिक और आकस्मिक मामले और/या संपत्ति पर अधिकार शामिल हो सकते हैं। सुविधा, देय बकाया राशियों और ऋणदाताओं के अधिकारों/दायित्वों की ऐसी कोई भी बिक्री, हस्तांतरण, ऋण लेने वाले/वालों को निर्णायक रूप से बाध्य करेगा।

(b) उपर्युक्त प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता, उधारकर्ता(ओं) को बिना सूचना दिए, सहभागिता के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के साथ संपूर्ण या आंशिक ऋण जोखिम साझा कर सकते हैं। ऐसी सहभागिता के बावजूद, लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं को प्राप्त या प्रदान किए गए सभी अधिकार, स्वामित्व, हित, विशेष दर्जा और अन्य लाभ एवं विशेषाधिकार उसी नियम और शर्तों पर वैध, प्रभावी और लागू करने योग्य बने रहेंगे और उधारकर्ता(ओं) लेन-देन दस्तावेजों के तहत ऋणदाताओं के प्रति अपने सभी दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते रहेंगे। उधारकर्ता(ओं) का किसी भी कारण से ऐसे सहभागी बैंक के साथ किसी भी प्रकार का संविदात्मक संबंध नहीं होगा और न ही वे ऐसा दावा कर सकते हैं।

7.9 क्रॉस कोलैटरल

ऋण लेने वाला यह स्वीकार करता है कि यदि इस सुविधा या इस सुविधा के अलावा किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत ऋण लेने वाले पर कोई बकाया राशि हो, तो ऋणदाता इस सुविधा या ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाताओं से ली गई किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत ऋण लेने वाले द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और ऋण लेने वाला एतद्द्वारा ऋणदाताओं को ऐसी बकाया वित्तीय सुविधा को कवर करने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का अधिकार देता है। इसी प्रकार, यदि इस सुविधा के तहत ऋण लेने वाले पर कोई बकाया राशि हो, तो ऋणदाता ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाताओं से ली गई अन्य वित्तीय सुविधा के लिए ऋण लेने वाले द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होंगे और ऋण लेने वाला इस सुविधा समझौते के तहत अपने बकाया को कवर करने के लिए ऐसी सुरक्षा बढ़ाने का वचन देता है।

7.10 शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह सुविधा समझौता और लेनदेन दस्तावेज (जब तक कि किसी लेनदेन दस्तावेज में अन्यथा निर्दिष्ट न हो) भारत के कानूनों द्वारा शासित और उनके अनुसार व्याख्यायित होंगे। इस सुविधा समझौते से उत्पन्न होने वाले या इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के निपटारे के लिए, इसमें शामिल पक्ष भारत में स्थित उन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जहां सुविधा वितरित करने वाले ऋणदाताओं की शाखा स्थित है। बशर्ते कि इसमें कही गई कोई भी बात (और/या इस प्रकार व्याख्यायित नहीं की जाएगी) ऋणदाताओं के किसी अन्य सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में उधारकर्ता(कों) या दोनों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के अधिकार को सीमित नहीं करेगी और न ही ऋणदाताओं द्वारा एक या अधिक क्षेत्राधिकारों में कार्यवाही शुरू करने से ऋणदाताओं को किसी अन्य क्षेत्राधिकार में कार्यवाही करने से रोका जाएगा (चाहे वह समवर्ती हो या नहीं)।

7.11 पृथक्करण

लेन-देन दस्तावेजों का कोई भी प्रावधान जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, ऐसे क्षेत्राधिकार के संबंध में, निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इससे लेन-देन दस्तावेजों के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

7.12 बेजोड़ता

स्वीकृति पत्र इस सुविधा समझौते का अभिन्न अंग है और इस सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता ऋणदाताओं द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों से सहमत और उन्हें स्वीकार करता है। यह सुविधा समझौता, स्वीकृति पत्र और इसमें संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज, इसमें उल्लिखित या इससे संबंधित सभी नियमों और शर्तों को समाहित करते हैं, और इस विषय वस्तु के संबंध में सभी मौखिक वार्ताओं और पूर्व लिखित समझौतों को रद्द करते हैं, सिवाय इस सुविधा समझौते से पहले जारी स्वीकृति पत्र के उन प्रावधानों के जो इस सुविधा समझौते के अतिरिक्त और पूरक हैं, और इसके समान या विरोधाभासी नहीं हैं। इस सुविधा समझौते और इससे संलग्न या इसमें संदर्भित किसी भी समझौते या दस्तावेजों के नियमों, शर्तों और प्रावधानों के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, इस सुविधा समझौते के नियम, शर्तें और प्रावधान प्रभावी होंगे।

7.13 खुलासे

(a) उधारकर्ता, उधारकर्ता/गारंटर या किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित सभी या किसी भी जानकारी और डेटा के ऋणदाताओं द्वारा प्रकटीकरण और साझाकरण के लिए सहमत, स्वीकार और सहमति देते हैं, जिसमें वित्तीय जानकारी, उधारकर्ता/गारंटर द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में की गई किसी भी चूक से संबंधित जानकारी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसा कि ऋणदाता आरबीआई और/या आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी एजेंसी/क्रेडिट ब्यूरो, सूचना उपयोगिताओं, अपने पेशेवर सलाहकारों और परामर्शदाताओं और अपने सेवा प्रदाताओं, समूह कंपनियों, तीसरे पक्ष या अन्यथा को लिखित या मौखिक संचार सहित कागजी प्रकाशन (फोटो के साथ या बिना) और/या लागू कानून के तहत आवश्यक होने पर, किसी न्यायालय के आदेश पर, या किसी भी क्षेत्राधिकार के किसी भी वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आदेश पर, उचित और आवश्यक समझे

(b) ऋण लेने वाला/वाले यह स्वीकार करते हैं कि आरबीआई या कोई अन्य अधिकृत एजेंसी, कोई भी वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण, ऋणदाताओं द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रसंस्करण और प्रसार किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकता है और इस संबंध में ऋणदाताओं को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ऋण लेने वाला/वाले ऋणदाताओं को यह सहमति देते हैं कि वे समय-समय पर ऋण लेने वाले/वाले को किए गए भुगतानों से, सुविधा से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सूचना उपयोगिताओं को भुगतान किए जाने वाले किसी भी शुल्क की वसूली/समायोजन कर सकते हैं। ऋणदाताओं, उनकी समूह कंपनियों, एजेंटों/प्रतिनिधियों को ऋण लेने वाले/वाले को विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं के बारे में किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल/एसएमएस/ईमेल सहित) जानकारी प्रदान करने का अधिकार होगा।

7.14 प्रशासन

ऋण लेने वाले (लेने वालों) द्वारा यह सहमति दी जाती है कि ऋणदाताओं के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाताओं द्वारा सुविधा और उसके उपयोग तथा/या ऋण लेने वाले (लेने वालों) के दायित्वों तथा/या ऋण लेने वाले (लेने वालों) द्वारा इस अनुबंध की शर्तों के अनुपालन तथा/या ऋणदाताओं को देय राशि या उसके किसी भाग की वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्य/कदम ऐसे अन्य व्यक्ति (जिसमें कोई कंपनी या निगमित निकाय शामिल है) द्वारा किए जाएंगे और/या किए जा सकते हैं, जिसे ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर इस संबंध में नियुक्त किया जा सकता है, और ऋणदाताओं को ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ, जिसे ऋण लेने वाले (लेने वालों) तथा/या सुविधा से संबंधित सभी दस्तावेज, खाते के विवरण और अन्य सभी प्रकार की जानकारी साझा करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऋणदाता, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या अधिक तृतीय पक्षों या अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे तृतीय पक्षों या व्यक्तियों को ऋणदाताओं की ओर से सभी बकाया राशियों को वसूल करने और उससे संबंधित या उससे जुड़े सभी कार्यों, कृत्यों, मामलों और चीजों को निष्पादित करने और आम तौर पर उन सभी वैध कार्यों को करने का पूर्ण अधिकार और शक्ति रखता है, जिन्हें तृतीय पक्ष ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त समझे।

7.15 वसूली

ऋणदाता, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के एकमात्र जोखिम और खर्च पर, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के बकाया राशि की वसूली करने और/या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने के हकदार होंगे, और ऋणदाता (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को उधारकर्ताओं, सुरक्षा और/या उत्पाद/उत्पादों से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े प्रदान कर सकते हैं जिन्हें ऋणदाता उचित समझें। ऋणदाता ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को इससे जुड़े या इससे संबंधित सभी कार्यों, कृत्यों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार भी सौंप सकते हैं, जैसा कि ऋणदाता उचित समझें

7.16 शिकायत निवारण तंत्र

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का पालन करते हैं, जो _____https://www.sbfc.com/_____ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट ___https://www.sbfc.com_____ पर जाएं और _____ पर नेविगेट करें।

स्तर 1	एसबीएफसी 30 दिनों के भीतर ग्राहकों के प्रश्नों/समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहक अपने प्रश्नों/समस्याओं को लिखकर बता सकते हैंcustomercare@sbfc.comया हमारे कॉल सेंटर नंबर 022-68313333 पर कॉल करें
लेवल 2	यदि ग्राहक स्तर 1 पर दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपनी शिकायत ग्राहक सेवा प्रमुख को भेज सकता है।servicehead@sbfc.com
स्तर 3	यदि ग्राहक स्तर 1 और स्तर 2 पर दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक अपनी शिकायत यहाँ पोस्ट कर सकता है/सकती हैmanagement.sbfc@sbfc.com.

उधारकर्ता द्वारा उठाई गई किसी भी शिकायत का समाधान एनबीएफसी द्वारा प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि उक्त अवधि के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो उधारकर्ता को मामले को बैंकिंग लोकपाल/एनबीएफसी के लोकपाल या भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्राहक शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) के पास ले जाने का अधिकार होगा

इसके प्रमाण स्वरूप, उधारकर्ता(ओं) और ऋणदाताओं ने अनुसूची। में निर्दिष्ट दिन, माह और वर्ष को इस सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर करवाए हैं।

ऋणदाताओं के लिए:		
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	हस्ताक्षरकर्ता का नाम: 1. 2. 3.	हस्ताक्षर: ....
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड	हस्ताक्षरकर्ता का नाम: 1. 2. 3.	हस्ताक्षर: ....
ऋण लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए:		

ऋण लेने वाले का नाम 1. 2. 3.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम: 1. 2. 3.	हस्ताक्षर: …… …… ……
[2]ऋण लेने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए (दिनांक [ ] के पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उनके द्वारा नियुक्त अटॉर्नी के माध्यम से):		
वकील का नाम: 1. 2. 3.	हस्ताक्षरकर्ता का नाम: 1. 2. 3.	हस्ताक्षर: …… …… ……

[2]आंतरिक नोट: यह नियम गैर-भारतीय (एनआरआई) उधारकर्ताओं पर लागू होता है, जब उधारकर्ता ने अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से अपनी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया हो। कृपया सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता की ओर से ऋण दस्तावेजों सहित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए वकील को अधिकृत करने वाला एक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद हो।

अनुसूची।

भाग अ

उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं), सुविधा और सुरक्षा का विवरण

<table>
<tr><td>सुविधा समझौते की तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>फांसी का स्थान</td><td></td></tr>
<tr><td>बैंक शाखा का नाम, विवरण, सुविधा में अनुपात</td><td>शाखा:

अधिकृत अधिकारी:</td></tr>
<tr><td>एनबीसी का नाम, कार्यालय का विवरण, सुविधा में अनुपात</td><td></td></tr>
<tr><td>ऋण आवेदन संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>ऋण खाता संख्या/ खाता संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>कुल सुविधा</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">सुविधा</td><td>राशि (रुपये में)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">रुपी टर्म लोन</td><td>पहली किश्त</td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी किश्त</td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी किश्त</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

उधारकर्ता(ओं) का विवरण	नाम:_____ गठन: व्यक्ति / साझेदारी फर्म / एलएल.पी / निजी कंपनी / यदि स्वामित्व वाली फर्म है, तो स्वामी का नाम:_____ पंजीकृत कार्यालय/आवासीय पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ संचार पता (पिन कोड सहित):_____ _____ ईमेल आईडी:_____ मोबाइल नंबर: _____ क्या आप अनिवासी भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या निवासी भारतीय हैं?

सह-ऋणदाता का विवरण	नाम:_____ गठन: व्यक्ति / साझेदारी फर्म / एलएल.पी. / निजी कंपनी / सार्वजनिक कंपनी / एचयूएफ यदि स्वामित्व वाली फर्म है, तो स्वामी का नाम:_____ पंजीकृत कार्यालय/आवासीय पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ संचार पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ ईमेल आईडी:_____ मोबाइल नंबर: _____ नाम:_____ गठन: व्यक्ति / साझेदारी फर्म / एलएल.पी / निजी कंपनी यदि स्वामित्व वाली फर्म है, तो स्वामी का नाम:_____ पंजीकृत कार्यालय/आवासीय पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ संचार पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ ईमेल आईडी:_____ मोबाइल नंबर: _____
गारंटर का विवरण	नाम:_____ संविधान: व्यक्ति / साझेदारी फर्म / एलएलपी / निजी कंपनी

	यदि स्वामित्व वाली फर्म है, तो स्वामी का नाम:_____ पंजीकृत कार्यालय/आवासीय पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ संचार पता (पिन कोड सहित):_____ _____ _____ ईमेल आईडी:_____ मोबाइल नंबर: _____
स्वीकृति पत्र का विवरण	यह स्वीकृति पत्र दिनांक _____ संदर्भसंख्या _____ ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ता(ओं) को जारी किया गया
संपत्ति/प्रतिभूतियों का विवरण	1. 2 [अन्य प्रतिभूतियों का विवरण]

भाग B

प्रथम चरण की सुविधा के नियम और शर्तें

सुविधा राशि	₹ _____/-
सुविधा का प्रकार	रुपये का सावधि ऋण
उद्देश्य	यह सुविधा निम्न उद्देश्यों के लिए है: आवासीय संपत्ति की खरीद; आवासीय इकाई का निर्माण; भूमि की खरीद; कार्यालय की खरीद के लिए; व्यावसायिक संपत्ति की खरीद; शिक्षा; संपत्ति का सुधार, मरम्मत, नवीनीकरण; चिकित्सा उपचार; कृषि गतिविधियाँ (एनआरआई के मामले में लागू नहीं); संबद्ध गतिविधियाँ; निर्मित मकान/फ्लैट/भवन की खरीद; अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता; यदि किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, तो कृपया स्पष्ट करें_____
सुविधा की उपलब्धता अवधि	पहली किस्त के भुगतान की तारीख से 48 महीने या आखिरी किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीने, जो भी पहले हो।
सुविधा का स्वरूप	भुगतान की तारीख से _____ महीने।

लागू ब्याज दर	इस सुविधा के लिए ब्याज की समायोज्य दर i) इस सुविधा के लिए ब्याज दर बाह्य बेंचमार्क दर * + 'स्प्रेड' प्रति वर्ष का योग होगी, साथ ही लागू वैधानिक शुल्क (यदि कोई हो) भी इसमें शामिल होगा। इस सुविधा के तहत पहली किस्त के लिए, लागू रेपो दर वह दर होगी जो किस्त की तारीख से एक कारोबारी दिन पहले प्रचलित थी, और बाद की किस्तों के लिए, इस सुविधा के लिए प्रचलित रेपो दर लागू होगी। उपरोक्त के प्रयोजन के लिए, बाह्य बेंचमार्क दर 'रेपो दर' या 'नीति रेपो दर' होगी, जिसे आरबीआई समय-समय पर आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। ii) ब्याज की गणना: इस सुविधा के लिए: आज की तारीख में 'रेपो रेट' _____% है और 'स्प्रेड' _____% है। लागू ब्याज दर _____% प्रति वर्ष होगी। लागू ब्याज दर का रेपो दर घटक, सुविधा के पहले वितरण वाले महीने से तीसरे महीने के पहले दिन (वितरण की तिथि की परवाह किए बिना) और उसके बाद हर तीन महीने में, रेपो दर + 'स्प्रेड' और लागू वैधानिक शुल्क (यदि कोई हो) के योग के रूप में रीसेट किया जाएगा। लागू रेपो दर रीसेट तिथि से एक कार्य दिवस पहले प्रचलित दर होगी। ** उदाहरण: उधारदाताओं द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के तहत अक्टूबर 2019 माह में किए गए पहले संवितरण के लिए, पहली रीसेट तिथि 1 जनवरी, 2020 होगी और उसके बाद 1 अप्रैल, 2020 और इसी तरह आगे भी। ऋणदाता रीसेट आवृत्ति और रीसेट तिथि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

	भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर ब्याज दर में बदलाव हो सकता है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि रेपो दर में परिवर्तन के अनुरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऋणदाता, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले ऋण वितरण की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार स्प्रेड को संशोधित कर सकते हैं। इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) के क्रेडिट मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और/या क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल में गिरावट के कारण किसी भी समय स्प्रेड को पुनः निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 'स्प्रेड' में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता द्वारा निम्न में से किसी भी माध्यम से दी जाएगी: (i) पत्र (ii) ईमेल (iii) एसएमएस (iv) खाता विवरण (v) व्हाट्सएप या कोई अन्य उपयुक्त माध्यम। ऋणदाता शाखा के नोटिस बोर्ड पर रेपो दर में परिवर्तन प्रदर्शित करके और/या वेबसाइट पर प्रकाशित करके इसकी सूचना देंगे। ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को किसी विशिष्ट सूचना जारी करके ऐसे परिवर्तन की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसलिए उधारकर्ता(ओं) को सूचना बोर्ड या वेबसाइट पर परिवर्तन की जानकारी लेते रहना चाहिए और संशोधित ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऋणदाता मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो दर से किसी अन्य बेंचमार्क में बाहरी बेंचमार्क को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इस सुविधा के लिए ब्याज की निश्चित दर i) निश्चित ब्याज दर का अर्थ उस ब्याज से है जो सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए निश्चित है और जिसका भुगतान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा; ii) ब्याज की गणना: इस सुविधा के लिए: मासिक किस्त और पूर्व मासिक किस्त के भुगतान पर लागू ब्याज दर _____% प्रति वर्ष होगी, साथ ही अन्य वैधानिक शुल्क भी लागू होंगे। इस सुविधा के लिए अर्ध-निश्चित ब्याज दर। i) ब्याज की गणना: सुविधा के लिए: (i) _____ महीनों की निश्चित अवधि के लिए, ब्याज _____% प्रति वर्ष होगा। (ii) एक बार जब यह समायोज्य ब्याज दर में परिवर्तित हो जाता है, तो लागू ब्याज दर रूपांतरण की तिथि पर प्रचलित बाह्य बेंचमार्क दर * + _____ % प्रति वर्ष का 'स्प्रेड', साथ ही लागू वैधानिक लेवी, यदि कोई हो, का योग होगी ("ब्याज दर")। *उपरोक्त के प्रयोजन के लिए, बाह्य बेंचमार्क दर 'रेपो दर' या 'नीति रेपो दर' होगी, जिसे आरबीआई समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। रूपांतरण होने पर, ब्याज की समायोज्य दर पर लागू होने वाले सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

<table>
<tr><td>भुगतान अनुसूची/भुगतान शर्तें</td><td>रुपये में सावधि ऋण सुविधा के लिए
a) भुगतान की अवधि _____ महीने*
b) किश्तों के प्रारंभ की तिथि _____
c) मासिक किस्त के भुगतान की नियत तिथि _____
d) भुगतान अनुसूची:

<table>
<tr><td rowspan="6">राशि प्रत्येक मासिक किस्त की</td><td>अवधि</td><td>राशि (मिलियन में)</td></tr>
<tr><td>_____ से _____ महीने</td><td>₹</td></tr>
<tr><td>_____ से _____ महीने</td><td>₹</td></tr>
<tr><td>_____ से _____ महीने</td><td>₹</td></tr>
<tr><td>_____ से _____ महीने</td><td>₹</td></tr>
<tr><td>_____ से _____ महीने</td><td>₹</td></tr>
</table>
*(परिवर्तन के अधीन)</td></tr>
<tr><td>नियत तिथि पर ऋण राशि के किसी भी भाग के भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक/विलंब होने की स्थिति में दंडात्मक शुल्क</td><td>देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक बकाया राशि पर ___% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा, साथ ही लागू कर या अन्य वैधानिक शुल्क, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल होंगे।</td></tr>
</table>

भाग सी

दूसरी किश्त सुविधा के नियम और शर्तें

सुविधा राशि	₹ _____/-
सुविधा का प्रकार	रुपये का सावधि ऋण

उद्देश्य	यह सुविधा निम्न उद्देश्यों के लिए है: आवासीय संपत्ति की खरीद; आवासीय इकाई का निर्माण; भूमि की खरीद; कार्यालय की खरीद के लिए; व्यावसायिक संपत्ति की खरीद; शिक्षा; संपत्ति का सुधार, मरम्मत, नवीनीकरण; चिकित्सा उपचार; कृषि गतिविधियाँ (एनआरआई के मामले में लागू नहीं); संबद्ध गतिविधियाँ; निर्मित मकान/फ्लैट/भवन की खरीद; अन्य व्यक्तिगत आवश्यकता; यदि किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, तो कृपया स्पष्ट करें_____
सुविधा की उपलब्धता अवधि	पहली किस्त के भुगतान की तारीख से 48 महीने या आखिरी किस्त के भुगतान की तारीख से 12 महीने, जो भी पहले हो।
सुविधा का स्वरूप	भुगतान की तारीख से _____ महीने।

लागू ब्याज दर	इस सुविधा के लिए ब्याज की समायोज्य दर i) इस सुविधा के लिए ब्याज दर बाह्य बेंचमार्क दर * + 'स्प्रेड' प्रति वर्ष का योग होगी, साथ ही लागू वैधानिक शुल्क (यदि कोई हो) भी इसमें शामिल होगा। इस सुविधा के तहत पहली किस्त के लिए, लागू रेपो दर वह दर होगी जो किस्त की तारीख से एक कारोबारी दिन पहले प्रचलित थी, और बाद की किस्तों के लिए, इस सुविधा के लिए प्रचलित रेपो दर लागू होगी। उपरोक्त के प्रयोजन के लिए, बाह्य बेंचमार्क दर 'रेपो दर' या 'नीति रेपो दर' होगी, जिसे आरबीआई समय-समय पर आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। ii) ब्याज की गणना: इस सुविधा के लिए: आज की तारीख में 'रेपो रेट' _____% है और 'स्प्रेड' _____% है। लागू ब्याज दर _____% प्रति वर्ष होगी। लागू ब्याज दर का रेपो दर घटक, सुविधा के पहले वितरण वाले महीने से तीसरे महीने के पहले दिन (वितरण की तिथि की परवाह किए बिना) और उसके बाद हर तीन महीने में, रेपो दर + 'स्प्रेड' और लागू वैधानिक शुल्क (यदि कोई हो) के योग के रूप में रीसेट किया जाएगा। लागू रेपो दर रीसेट तिथि से एक कार्य दिवस पहले प्रचलित दर होगी। ** उदाहरण: उधारदाताओं द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के तहत अक्टूबर 2019 माह में किए गए पहले संवितरण के लिए, पहली रीसेट तिथि 1 जनवरी, 2020 होगी और उसके बाद 1 अप्रैल, 2020 और इसी तरह आगे भी। ऋणदाता मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर रीसेट आवृत्ति और रीसेट तिथि में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि रेपो दर में परिवर्तन के अनुरूप ब्याज दर में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ऋणदाता, आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पहले संवितरण की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार स्प्रेड को संशोधित कर सकते हैं। इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, ऋणदाताओं के पास उधारकर्ता(ओं) के क्रेडिट मूल्यांकन में पर्याप्त परिवर्तन और/या क्रेडिट जोखिम प्रोफ़ाइल में गिरावट के कारण किसी भी समय स्प्रेड को पुनः निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है। 'स्प्रेड' में कोई भी परिवर्तन

	ऋणदाताओं द्वारा निम्न में से किसी भी माध्यम से सूचित किया जाएगा: (i) पत्र (ii) ई-मेल (iii) एसएमएस (iv) खाता विवरण (v) व्हाट्सएप या कोई अन्य उपयुक्त माध्यम। ऋणदाता शाखा के नोटिस बोर्ड पर रेपो दर में परिवर्तन प्रदर्शित करके और/या वेबसाइट पर प्रकाशित करके इसकी सूचना देंगे। ऋणदाता उधारकर्ता(ओं) को किसी विशिष्ट सूचना जारी करके ऐसे परिवर्तन की सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसलिए उधारकर्ता(ओं) को सूचना बोर्ड या वेबसाइट पर परिवर्तन की जानकारी लेते रहना चाहिए और संशोधित ब्याज दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऋणदाता मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो दर से किसी अन्य बेंचमार्क में बाहरी बेंचमार्क को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। इस सुविधा के लिए ब्याज की निश्चित दर i) निश्चित ब्याज दर का अर्थ उस ब्याज से है जो सुविधा की संपूर्ण अवधि के लिए निश्चित है और जिसका भुगतान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जाएगा; ii) ब्याज की गणना: इस सुविधा के लिए: मासिक किस्त और पूर्व मासिक किस्त के भुगतान पर लागू ब्याज दर _____% प्रति वर्ष होगी, साथ ही अन्य वैधानिक शुल्क भी लागू होंगे। इस सुविधा के लिए अर्ध-निश्चित ब्याज दर। i) ब्याज की गणना: सुविधा के लिए: (i) _____ महीनों की निश्चित अवधि के लिए, ब्याज _____% प्रति वर्ष होगा। (ii) एक बार जब यह समायोज्य ब्याज दर में परिवर्तित हो जाता है, तो लागू ब्याज दर रूपांतरण की तिथि पर प्रचलित बाह्य बेंचमार्क दर * + _____ % प्रति वर्ष का 'स्प्रेड', साथ ही लागू वैधानिक लेवी, यदि कोई हो, का योग होगी ("ब्याज दर")। *उपरोक्त के प्रयोजन के लिए, बाह्य बेंचमार्क दर 'रेपो दर' या 'नीति रेपो दर' होगी, जिसे आरबीआई समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है। रूपांतरण होने पर, ब्याज की समायोज्य दर पर लागू होने वाले सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

<table>
<tr><td>भुगतान अनुसूची/भुगतान शर्तें</td><td>रुपये में सावधि ऋण सुविधा के लिए
e) भुगतान की अवधि ________________ महीने*
f) किश्तों के प्रारंभ की तिथि ________________
g) मासिक किस्त के भुगतान की नियत तिथि _______________
h) भुगतान अनुसूची:</td></tr>
<tr><td></td><td>

राशि प्रत्येक मासिक किस्त की	अवधि	राशि (मिलियन में)
	_____ से _____ महीने	₹
	_____ से _____ महीने	₹
	_____ से _____ महीने	₹
	_____ से _____ महीने	₹
	_____ से _____ महीने	₹

*(परिवर्तन के अधीन)</td></tr>
<tr><td>भुगतान/पुनर्भुगतान में चूक/देरी की स्थिति में दंडात्मक शुल्क
देय तिथि पर ऋण राशि का कोई भी भाग
दिनांक</td><td>देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक बकाया राशि पर ___% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा, साथ ही लागू कर या अन्य वैधानिक शुल्क, यदि कोई हो, भी इसमें शामिल होंगे।</td></tr>
</table>

अनुसूची III

प्रभारों की अनुसूची

नीचे उल्लिखित सभी शुल्कों, कमीशनों और फीस की दरें समय-समय पर वेबसाइट पर प्रकाशित होने के अनुसार या ऋणदाताओं द्वारा अलग से निर्धारित किए जाने के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं, और इनमें लागू कर और वैधानिक शुल्क शामिल नहीं हैं। संशोधित दरें उधारकर्ता(ओं) पर बाध्यकारी होंगी, उधारकर्ता(ओं) की ओर से किसी अन्य कार्य, विलेख या लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उधारकर्ता(ओं) को इसके बारे में अपडेट रहने के लिए वेबसाइट की जाँच करते रहना आवश्यक है। उधारकर्ता(ओं) स्वीकार करते हैं कि ऋणदाताओं द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशन उधारकर्ता(ओं) के लिए पर्याप्त सूचना है। इस अनुसूची में उल्लिखित शुल्कों में आवेदन प्रक्रिया और ऋण खाते के रखरखाव के लिए "कुल लागत" शामिल है।

	एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड को देय		
	शुल्क/प्रभार का प्रकार	एक बार/ आवर्ती	राशि
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क	एकमुश्त	रु.
(ii)	खंडित अवधि ब्याज / पूर्व-ईएमआई*	एकमुश्त	रु.
(iii)	उत्पत्ति शुल्क (अग्रिम भुगतान)	एकमुश्त	रु.
(iv)	उत्पत्ति शुल्क (ऋण से कटौती)	एकमुश्त	रु.

* अनुबंध की शर्तों के अनुसार ऋण वितरण की तिथि से लेकर पहली पुनर्भुगतान तिथि तक ब्याज के रूप में देय अवधि ब्याज / पूर्व-ईएमआई राशि

उपरोक्त तालिका में प्री-ईएमआई राशि की गणना अधिकतम 29 दिनों के अंतर को ध्यान में रखते हुए की गई है; यदि अंतर केवल 15 दिन का है, तो प्री-ईएमआई राशि आनुपातिक रूप से कम होगी।

	एसबीएफसी के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय		
	शुल्क/प्रभार का प्रकार	एक बार/ आवर्ती	राशि
(i)	बीमा प्रीमियम	एकमुश्त	रु.
(ii)	स्टाम्प शुल्क	एकमुश्त	रु.
(iii)	सीईआरएसएआई	एकमुश्त	रु.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">आकस्मिक शुल्कों का विवरण</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>दंडात्मक शुल्क</td><td>दंडात्मक शुल्क ग्रिड
<table>
<tr><th>मूलधन बकाया</th><th>प्रतिदिन शुल्क</th></tr>
<tr><td>7 लाख तक</td><td>12</td></tr>
<tr><td>7 से 10 लाख</td><td>17</td></tr>
<tr><td>10 से 15 लाख</td><td>22</td></tr>
<tr><td>15 से 20 लाख</td><td>27</td></tr>
<tr><td>20 लाख से अधिक</td><td>30</td></tr>
</table>
* लागू जीएसटी लगाया जाएगा
पूरी बकाया ईएमआई का भुगतान होने तक, ईएमआई का भुगतान न होने के प्रत्येक दिन के लिए शुल्क लगाया जाएगा।
प्रति दिन का शुल्क उस तारीख को बकाया मूलधन के आधार पर लगाया जाएगा, जिस तारीख को ईएमआई देय हो जाती है या उसका भुगतान नहीं किया जाता है।</td></tr>
</table>

(ii)	गिरवी रखी संपत्ति को ज़ब्त करने का शुल्क (यह शुल्क उन ऋणों पर लागू होता है जहां ब्याज दर निश्चित है या जहां इकाई मुख्य उधारकर्ता है या जहां ऋण व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया गया है)	• ऋण जारी होने के 12 महीनों के भीतर ऋण की नीलामी होने की स्थिति में, पूर्व भुगतान की गई राशि पर 6% ब्याज लागू होगा। • 12 महीने बाद, पूर्व भुगतान की गई राशि पर 5% ब्याज लागू होगा। फ्लोटिंग रेट पर व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए होम लोन पर फोरक्लोजर शुल्क लागू नहीं होते हैं।
(iii)	आंशिक पूर्व-भुगतान शुल्क (यह शुल्क उन ऋणों पर लागू होता है जहां ब्याज दर निश्चित है या जहां इकाई मुख्य उधारकर्ता है या जहां ऋण व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया गया है)	• आंशिक अग्रिम भुगतान पर 3% अग्रिम भुगतान शुल्क लागू होगा। • आंशिक अग्रिम भुगतान की राशि बकाया मूलधन के 10% के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। • यदि आंशिक भुगतान के कारण बकाया राशि की अवधि 12 महीने से कम हो जाती है, तो आंशिक भुगतान के बजाय अग्रिम भुगतान की गई राशि पर कुर्की शुल्क लगाया जाएगा। • फ्लोटिंग रेट पर व्यक्तियों को दिए गए होम लोन के तहत पूर्व-भुगतान शुल्क लागू नहीं होते हैं। • फ्लोटिंग रेट के तहत व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए गए होम लोन पर आंशिक पूर्व-भुगतान शुल्क लागू नहीं होते हैं।
(iv)	चेक बाउंस शुल्क	1000 रुपये प्रति बाउंस प्रति माह
(v)	खाते के विवरण की हार्डकॉपी	प्रति विवरण 500 रुपये
(vi)	पुनर्भुगतान अनुसूची/एनओसी की हार्ड कॉपी	प्रति विवरण 500 रुपये
(vii)	संपत्ति दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए शुल्क	1000 रुपये/-
(viii)	बंद ऋण पर दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	• यदि संपत्ति संबंधी कागजात प्राप्त करने की सूचना की तिथि से 21 दिनों के भीतर एसबीएफसी शाखा से दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाते हैं, तो 1000 रुपये का शुल्क लागू होगा। • 30 दिन बीत जाने पर, एसबीएफसी प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों को भंडारण में वापस भेज देगा और ग्राहक के अनुरोध पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जाएगा और नए अनुरोध के समय से 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
(ix)	फ्लोटिंग से फिक्स्ड और इसके विपरीत दर प्रकार बदलने के लिए स्विच शुल्क	बकाया मूलधन का 1% निश्चित और परिवर्तनीय ब्याज दरों के बीच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (आरओआई) का अंतर 3% तक हो सकता है।

* लागू जीएसटी लगाया जाएगा

अनुसूची IV

I. विशेष उल्लेख खाते और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकरण-

ऋण देने वाली संस्थाएं, ऋण खातों में उत्पन्न होने वाले तनाव को, डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत पहचान लेंगी और उन्हें विशेष उल्लेखित खातों के रूप में वर्गीकृत करेंगी।

एसएमए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित होगा:

सावधि ऋणों की प्रकृति वाले ऋण		नकद ऋण के रूप में दिए जाने वाले ऋण	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया है	एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – बकाया राशि लगातार इससे अधिक बनी रहती है स्वीकृत सीमा या आहरण क्षमता, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए
एसएमए-0	30 दिनों तक		
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक	एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक	एसएमए-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है,
ii. नीचे दर्शाए अनुसार, ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'अव्यवस्थित' रहता है।
iii. खरीदे और छूट प्राप्त किए गए बिलों के मामले में, यदि बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है,
iv. अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है।
v. लंबी अवधि की फसलों के मामले में मूलधन या उस पर लगने वाले ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए बकाया रह जाती है।

'खराब' स्थिति:

किसी खाते को 'अव्यवस्थित' माना जाएगा यदि:

i. सीसी/ओडी खाते में बकाया राशि लगातार 90 दिनों तक स्वीकृत सीमा/निकासी क्षमता से अधिक बनी रहती है;
ii. क्रेडिट कार्ड/ओवरड्राफ्ट खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/निकासी क्षमता से कम है, लेकिन लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, या क्रेडिट कार्ड/ओवरड्राफ्ट खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/निकासी क्षमता से कम है, लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं।

II. देय राशि के विलंब/भुगतान न होने के आधार पर खाते का एसएमए श्रेणी से एनपीए श्रेणी में स्थानांतरण और उसके बाद दिन के अंत में मानक श्रेणी में उन्नयन की प्रक्रिया का उदाहरण:

भुगतान की नियत तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान में शामिल है	सबसे पुराने की आयु दिनों में बकाया	एसएमए/एनपीए वर्गीकरण	एसएमए कब से दिनांक/ एसएमए कक्षा दिनांक	एनपीए वर्गीकरण	एनपीए दिनांक
01-01-2022	01-01-2022	0101-2022 तक की पूरी बकाया राशि	0	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
01-02-2022	01-02-2022	01-02-2022 की आंशिक रूप से भुगतान की गई बकाया राशि	1	एसएमए-0	01-02-2022	लागू नहीं	लागू नहीं

01-02-2022	02-02-2022	01-02-2022 की आंशिक रूप से भुगतान की गई बकाया राशि	2	एसएमए-0	01-02-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01-03-2022		01-02-2022 का बकाया 2022 का पूरा भुगतान नहीं हुआ 01-03-2022 का बकाया भी 01-03-2022 को दिन के अंत तक देय है	29	एसएमए-0	01-02-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01-02-2022 का बकाया 2022 का पूरा भुगतान हो चुका है, 01-03-2022 का भुगतान भी 01-03-2022 को दिन के अंत तक देय है। 2022	1	एसएमए-0	01-03-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01-03-2022 के पूरे बकाया का कोई भुगतान नहीं हुआ है और 01-03-2022 को दिन के अंत में 03-03-2022	31	एसएमए-1	01-02-2022 / 03-03-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01-02-2022 का बकाया पूरी तरह से भुगतान कर दिया गया है, दिनांक 01-03-2022 का पूरा भुगतान दिन के अंत तक नहीं हुआ 01-03-2022	1	एसएमए-0	01-03-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01-04-2022			60	एसएमए-1	01-02-2022 / 03-03-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		बकाया का कोई भुगतान नहीं 01-02-2022 से 01-04-2022 को 02-04-2022 को दिन के अंत तक	61	एसएमए-2	01-02-2022 / 02-04-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		देय राशि का भुगतान नहीं					

01-05-2022		01-02-2022 से 01-05-2022 को दिन के अंत में 02-05-2022	90	एसएमए-2	01-02-2022 / 02-04-2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		देय राशि का भुगतान नहीं 01-02-2022 से 01-05-2022 को दिन के अंत में 02-05-2022	91	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02-05-2022
01-06-2022	01-06-2022	का पूरा भुगतान किया गया 01-02-2022 को दिन की समाप्ति तिथि 01-06-2022	93	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02-05-2022
01-07-2022	01-07-2022	का पूरा बकाया चुका दिया गया 01-03-2022 और 01-04-2022 को दिन के अंत में 01-07-2022	62	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02-05-2022
01-08-2022	01-08-2022	का पूरा बकाया चुका दिया गया 01-05-2022 और 01-06-2022 को 01-08-2022 को दिन के अंत में	32	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02-05-2022
01-09-2022	01-09-2022		1	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02-05-2022
01-10-2022	01-10-2022	का पूरा बकाया चुका दिया गया 01-09-2022 और 01-10-2022	0	मानक खाता बिना किसी बकाया के	लागू नहीं	लागू नहीं	मानक से 01-10202 2

उधारकर्ता के लिए:

नाम	हस्ताक्षर

[3]ऋणकर्ता के लिए (दिनांक [.] के पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उनके द्वारा नियुक्त अटॉर्नी के माध्यम से):

नाम	हस्ताक्षर

सह-ऋणकर्ता के लिए:

नाम	हस्ताक्षर

गारंटर के लिए:

नाम	हस्ताक्षर

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए:

नाम	हस्ताक्षर

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के लिए:

नाम	हस्ताक्षर

[3]आंतरिक नोट: यह नियम गैर-भारतीय (एनआरआई) उधारकर्ताओं पर लागू होता है, जब उधारकर्ता ने अपने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से अपनी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया हो। कृपया सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता की ओर से ऋण दस्तावेजों सहित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए वकील को अधिकृत करने वाला एक वैध पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद हो।